सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

देखी सुनी

वर्ष 2013, अंक 24

देश में अगर औरत बेआबरू, नाशाद है
दिल पे रखकर हाथ कहिये, देश क्या आजाद है?

प्रिय साथियों।

हर वर्ष की तरह हिंसा के विरूद्ध 16 दिवसीय अभियान (25 नवम्बर से 10 दिसम्बर) के साथ इस बार आया **16 दिसम्बर 2012**, भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसने देशभर में फैली महिला हिंसा को ऐसा आईना दिखा दिया जिसे देखकर जनमानस के मन में महिला हिंसा के विरूद्ध आक्रोश का सैलाब आ गया। भारत के इतिहास में पहली बार आमलोगो के प्रतिरोध के स्वर महिला हिंसा व महिला न्याय के लिये एकजूट होकर आंदोलन में बदलने लगे जिसने समाज, शासन, सत्ता, न्याय सबको हिलाकर रख दिया और विवश किया कि वे सब एक होकर कहे – **बस्स, हिंसा अब और नहीं।**

इसबार का हमारा ये प्रयास समर्पित है महिला हिंसा के विरूद्ध उठी उन्ही आवाज़ों और उनसे जुड़े कूछ सवालो को। इसमें शामिल है – बलात्कार का सामाजिक व कानूनी पक्ष, महिला हिंसा का आईना दिखाती सच्चाई, जनआक्रोश व उससे उपजी सरकारी योजनाये और फांसी पर एक नज़रिया।

आशा है हमारा ये प्रयास आपके सोचने के क्रम को गति देते हुये इस आंदोलन व दबाव को निरंतर आपका योगदान व शक्ति देता रहेगा व जास्टिस वर्मा द्वारा गठित व प्रस्तावित रिर्पोट को पूरी तरह कानून में बदलने में सहयोग देगा। अपनी प्रतिक्रिया व सवाल जरूर भेजे।

नीतू रौतेला
जागोरी संदर्भ समूह

बलात्कार और समाज

संध्या नवोदिता

जो कुछ हो रहा है, भयावह है। लग रहा है जैसे सती-युग लौट आया है। चैनल खबर चला रहे हैं- संसद सदमे में। सदमे में तो हम हैं। स्त्री अब क्या करेगी, कैसे जिएगी, कैसे अपना मुंह सबको दिखाएगी- ये कैसे सवाल हैं? लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, और कह रहे हैं अब तन ढकने से क्या, बेचारी का जो था सो तो सब लुट गया। इज्जत सरेआम रौंद डाली गई। अब तो बेचारी तिल-तिल कर घुट-घुट कर मरेगी। यह सब क्या है। यह कैसी सहानुभूति है, जो बलात्कार का शिकार हुई स्त्री को स्वाभाविक जीवन जीता देखना गवारा नही करती।

संसद में बैठी शक्तिशाली स्त्रियां नहीं जानतीं कि रोजाना सार्वजनिक वाहनों में सफर करना महिला के लिए कैसा अनुभव होता है? वे नही जानतीं कि सड़क पर चलना क्या होता है। एक सामान्य पुरुष साथी की तरह खुली हवा में सांस लेने, कभी-कभार फिल्म-पिकनिक की मौज-मस्ती के लिए स्त्री को मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है। चाहे वे जया बच्चन हों, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज या सोनिया गांधी- अपनी पहचान छोड़ कर सामान्य स्त्री का जीवन एक दिन के लिए जीकर देखें तो शायद इस संसद-रुदन की जरूरत न पड़े।

शक्तिमान महिलाओं को विलाप करते देखना अजीब लगता है। जिनके पास सत्ता की ताकत है, कानून बनाने और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता है, जिन्हें अपनी इस जिम्मेदारी को कब का पूरा कर देना चाहिए था उनकी आंखों में सिर्फ आंसू आ रहे हैं, वे सिर्फ मार्मिक भाषण दे रही हैं, वे नम आंखों से निहार रही हैं, वे आक्रोश प्रदर्शित कर रही हैं। अरे ये सारे काम तो संसद से बाहर बैठी महिलाएं भी कर रही हैं, फिर संसद की क्या जिम्मेदारी है?

इस अपराध पर त्वरित कार्रवाई करवाने में सक्षम लोग कार्रवाई करवाने की जगह आंसू बहा रहे हैं, संवेदनशील भाषण कर रहे हैं। कमाल है- संसद रो रही है, संसद सदमे में जा रही है। आपको याद होगा, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तो इस लुटी इज्जत के लिए बाकायदा 'बलात्कार बीमा योजना' तक लाने पर चर्चा हुई थी। महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों की कड़ी आलोचना के बाद उस शर्मनाक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

इस कांड पर गमगीन सिर्फ महिलाओं को दिखाया गया। तमाम चैनल महिला सांसदों के आंसू और भाषण दिखाते रहे। ज्यादातर पुरुष सांसद इस घटना पर मौन थे या चैनलों ने उन्हें दिखाना जरूरी नहीं समझा। यह भी अजीब है। महिला के साथ अपराध हो तो उस पर महिलाओं का ही नजरिया दिखाया जाएगा। क्यों भाई, पुरुषों का क्यों नहीं? क्या यह एक सामाजिक अपराध नहीं है? क्या इससे पुरुष प्रभावित नहीं होता? क्या ऐसे समाज में पुरुष निश्चिंत होकर सो सकता है?

क्या बलात्कार के लिए फांसी देने से बलात्कार रुक जाएगा, जैसी कि लगातार मांग बनाई जा रही है? बलात्कारी के शिश्नोच्छेद की मांग हो रही है। ऐसी मांग का क्या अर्थ है? फांसी दो-फांसी दो के उन्माद में कोई बुनियादी सवाल सुनने तक को तैयार नहीं है। फांसी की भूखी भीड़ को कुछ लाशें चाहिए ही चाहिए जिससे उसकी क्षुधा कुछ देर को शांत हो। फिर उन्माद का कोई और मुद्दा आ जाएगा। क्या मृत्युदंड से इन घटनाओं को काबू किया जा सकता है?

बलात्कारी मानता है कि शील भंग के बाद पीड़िता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, उसकी 'इज्जत' लुट गई, वह बरबाद हो गई, अब तो उसका जीना मरने से भी बदतर है। इन्हीं मूल्यों के कारण पुरुष बदला लेने के लिए भी बलात्कार को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बलात्कारी को मृत्युदंड या शिश्नोच्छेद की मांग करने वालों के भी मूल्य यही हैं कि अब स्त्री के पास बचा ही क्या। शील गया तो सब गया। शर्म, हया, लाज। इज्जत, शील, चरित्र। ये सब वर्जिन वर्जाइना के पर्याय बना दिए गए हैं। अब लड़की कैसे सिर उठा कर जिएगी। सुषमा स्वराज के रुदन में कहें तो अब उसका जीना-मरना एक समान है।

यह हमारे समाज का सोच है कि अगर पीड़ित स्त्री बलात्कार के दंश से उबरना भी चाहे तो हम वैसा नहीं होने देंगे। बलात्कार तो शरीर पर गहरी चोट है जो देर-सबेर भर जानी है। पर मन की कभी न भरने वाली चोट कौन देता है? कौन इस जख्म को लगातार कुरेद कर नासूर बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह कैसा समाज है, जो बलात्कारी के ही दृष्टिकोण से सोचता है। बलात्कारी मानता है उसने स्त्री का 'सब कुछ' लूट लिया और समाज भी यही मानता है कि स्त्री का सब कुछ लुट गया। और 'लुटी हुई इज्जत' कभी वापस नहीं आ सकती। जिसके लिए स्त्री बस एक यौन अंग है जिसके अवैध (बिना शादी) इस्तेमाल से वह अंग सड़ जाता है, हमेशा के लिए अपवित्र हो जाता है। उस समाज में पुनः प्रवेश के अयोग्य हो जाता है।

क्या यह यों ही है कि इसी सोच से खाप पंचायतें संचालित होती हैं, जहां अपनी मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों को खाप पंचायतों के समर्थन से काट कर फेंक दिया गया। ऑनर किलिंग के अनगिनत मामले हमारे सामने हैं। लड़की की इसी इज्जत के 'अपवित्र' हो जाने पर सामंती परिवार लड़कियों को मार डालते हैं और इस 'इज्जत को खराब' करने वाले को भी।

बलात्कार की शरीर पर जो चोट है वह देर-सबेर भर जानी है। पर मन की कभी न भरने वाली चोट कौन देता है? कौन इस जखम को लगातार कुरेद कर नासूर बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह कैसा समाज है, जो बलात्कारी के ही दृष्टिकोण से सोचता है। बलात्कारी मानता है उसने स्त्री का 'सब कुछ' लूट लिया और समाज भी यही मानता है कि स्त्री का सब कुछ लुट गया।

तब क्या बलात्कार के अपराध को कुछ कम करके देखना चाहिए? नहीं! यह जघन्य है और हमें इसे संपूर्णता में देखना होगा। स्त्री की इच्छा के बिना उसका जीवन साथी भी संबंध बनाए तो कानूनन यह भी अपराध है। पति द्वारा किया गया बलात्कार भी आपराधिक दायरे में है। स्त्री हो या पुरुष, अपने शरीर पर पहला अधिकार आपका ही होना चाहिए। बंद कमरों में बच्चों और बच्चियों के साथ घर के ही जाने-पहचाने लोगों द्वारा किए गए दुराचार, कार्य-स्थलों पर स्त्रियों के साथ दुराचार, सार्वजनिक वाहनों में और सड़कों पर राह चलती लड़कियों पर रोजाना होती छींटाकशी और अभद्रताएं भी इसी जघन्य अपराध की सैकड़ों कड़ियां हैं। यह हमारा समाज है जिससे हमें लड़ना भी है और इसे बेहतर भी बनाना है।

भारत में ही कई ऐसे समाज हैं जहां बलात्कार नहीं होते, बच्चियों की भ्रूण हत्याएं नहीं होती, जहां अपराध की दर तथाकथित सभ्य माने जाने वाले समाज की तुलना में न के बराबर है। आप तिब्बती समाज, आदिवासी समाज, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को देखिए और इसी के बरक्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के समाजों के अपराध देखिए। अपराध न हो इसके लिए बेहतर मूल्यों वाला समाज भी रचना होगा, जहां हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस समय जहां इस गंभीर मुद्दे पर समग्र नजरिए से बहस की जरूरत है, इस पर सारे विचार, सारी बहसों को बस फांसी दो-फांसी दो तक लाकर उन्मादी बना दिया गया है। राजनेताओं के लिए भी यह मांग करना और इसे लागू करना-कराना सुविधाजनक है। जहां सदन में कई जनप्रतिनिधि अपने मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखते पकड़े जाएं, वहां समाज को बदलने की बात कौन करना चाहता है?

मीडिया का जब से कॉरपोरेटीकरण हुआ है, अद्‌भुत खेल देखने को मिल रहे हैं। खेलों तक में यौन आकांक्षाएं पूरी करने को 'हॉट गर्ल', 'ग्लैमर गुड़िया' ढूंढ़ने का अभियान मीडिया चला रहा है, सिर्फ खेल देखना हो तो खेल लड़कियां दिखा ही रही हैं। बड़े लोगों का मन विश्व सुंदरियों से नहीं भरा तो अब खेलों में भी सुंदरी खोज रहे हैं। इसमें प्रिंट और दृश्य, दोनों मीडिया शामिल हैं। यही चैनल वाले रात-रात भर पॉवरप्राश, शक्तिप्राश और यौन-शक्तिवर्धक दवाओं के अश्लील विज्ञापन दिखाते हैं, फिर दिन भर बलात्कारियों को फांसी पर एसएमएस मंगवा कर ऊंची कमाई करते हैं। रात में प्रचार से कमाई और दिन में उसके विरोध से कमाई!

वियाग्रा जैसी दवा क्या स्वस्थ समाज की जरूरत है? मर्दानगी की सारी अवधारणाएं किस समाज की हैं? पॉवरप्राश जैसे विज्ञापनों में एक लड़का कई-कई लड़कियों के साथ बाकायदा हमबिस्तर दिखाया जाता है, परफ्यूम के विज्ञापनों में मर्दानगी का पागलपन दिखाया जाता है। लगभग हर विज्ञापन में स्त्री को देह, उपयोग और उपभोग की चीज बना कर परोसा जाता है, हर चैनल पर हिंसा और अपराध की कथाएं मनोरंजक बना कर चटखारे लेकर परोसी जाती हैं, जिनमें अपराध का न तो विश्लेषण किया जाता है और न उसे गंभीर समाजशास्त्रीय नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है। सभी चैनल मनोहर कहानियां का विजुअल संस्करण बन गए हैं। दिन-रात चैनलों पर हिंसा, हत्या ,बलात्कार देख कर जाहिर है एक हिंसक, मानसिक रूप से विकृत और कुंठित समाज ही बनेगा।

बहुत संकट की स्थिति है। 'यौनांगों की पवित्रता' हमारे समाज की बीमारी है। स्त्री के साथ यौन शुचिता का मूल्यबोध जोड़ा गया है, वह खंडित होता है। अब चूंकि शुचिता तो वापस आ नहीं सकती, शुचिता के आईने की किरचें बिखर जाती हैं, जो किसी हाल में नहीं जुड़ सकतीं। इसलिए तूफान आ जाता है। अपराध को अपराध की तरह ही देखा जाना चाहिए वरना अपराध के लज्जा, अपमान, आत्महत्या तक होते हुए समाज न जाने कहां पहुंचेगा।

ये घातक स्थितियां हैं और इन्हें हमारा समाज ही निर्मित करता है। स्त्री की यौन-शुचिता को लेकर समाज इतना दुराग्रही है कि उससे आजाद होना बहुत मुश्किल दिखता है। बलात्कारी को तो फांसी दे देंगे लेकिन जो लोग यह सोचते हैं कि अब बेचारी लड़की कैसे जिएगी, क्या करेगी, उसका जीवन तबाह हो गया, उनके इस सोच को फांसी कैसे देंगे? स्त्री बलात्कार के बाद जीना भी चाहे तो इस मानसिकता की बजह से उसकी पढ़ाई-लिखाई, उसका व्यवहार सब परे हटाकर समाज उसे एक यौन-अंग में तब्दील कर देखेगा कि इसका सब कुछ छिन गया। अब इसके पास बचाने को क्या है?

जहां इस बात पर बहस चलती हो कि लड़की कैसे कपड़े पहनती है, किस समय बाहर जाती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, जोर-जोर से हंसती है, वहां सामान्य इंसान के रूप में स्त्री को स्वीकार किया जाना अभी बाकी है। इस कुंठित मनोवृत्ति को फांसी दें! स्त्री को मेहरबानी कर जीने दें, उसे खुली हवा में सांस लेने दें, उसे अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने दें। उसे बलात्कार पीड़िता की पहचान में न बदलें!

बयान जिन्होंने किया शर्मसार

2012 महिलाओं के लिए सही मायनों में उसी तरह बीता, जैसे इसके पहले के साल बीतते रहे। कुछ चीजें ठीक हुईं, कुछ हक के खिलाफ; लेकिन कई मौकों पर यह साफ दिखा कि समाज की सोच उस तरह नहीं बदल रही जैसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। कई बयानों ने यह उजागर किया कि हम दकियानूस हैं और हमसे ज्यादा उम्मीद न करें। साल के दौरान चर्चा में रहे बयान

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भक्तवत्सला ने पत्नी-पत्नी की लड़ाई के मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पत्नी से कहा कि हर शादी में ऊंच-नीच होती ही है। अगर किसी महिला का पति उसकी पिटाई करता है तो उसे इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उसकी आजीवन देखभाल भी करता है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि महिला को अपने घर सुख-शांति के साथ अपने दो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पति के व्यवहार से समझौता कर लेना चाहिए। बयान के बाद महिला संगठनों ने काफी विरोध किया। विमोचना संस्था ने उन्हें पद से हटाने के लिए इंटरनेट पर अभियान भी चलाया। पूरा मामला इसी साल सितम्बर महीने का है।

गुवाहाटी में सरेआम लड़की से छेड़छाड़ की घटना के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने मीडिया ने कहा कि 'ये पहनो, ये नहीं पहनो...। आजादी के 64 साल बाद इस तरह का आदेश देना सही नहीं है लेकिन आप जो पहनते हैं उसे लेकर सावधानी बरतें। आंख मूंदकर पश्चिमी सभ्यता की नकल करने से हमारी संस्कृति को

नुकसान हो रहा है। इस तरह के अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।'

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कानपुर के कवि सम्मेलन में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद जश्न मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि 'नई-नई जीत और नई-नई शादी, दोनों का अपना ही महत्व है। जैसे-जैसे वक्त बीतता है विजय पुरानी पड़ जाती है, ठीक उसी तरह वक्त के साथ पत्नियों का आकर्षण कम हो जाता है।' हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली लेकिन इस बयान के लिए महिला संगठनों का उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 10 अक्टूबर को खाप द्वारा कम उम्र में लड़कियों की शादी के मुद्दे पर कहा कि 'हमें अतीत से सीखना चाहिए...खासकर मुगल काल से। उस दौरान लोग अपनी लड़कियों की शादी जल्द कर देते थे ताकि उन्हें अत्याचारों से बचाया जा सके। हरियाणा में भी ऐसे ही हालात हैं। शायद यही वजह है कि खाप ने यह फैसला सुनाया और मैं इसका समर्थन करता हूं।'

गुजरात के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक जनसभा में कहा था कि यूपीए के एक मंत्री को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के चलते पद छोड़ना पड़ा था। आज भी आरोप कायम है लेकिन उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया। मोदी इस बयान के जरिये कांग्रेस नेता और मंत्री शशि थरूर की बात कर रहे थे। उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर जो पहले उनकी प्रेमिका थीं, को लेकर कटाक्ष किया गया था। सुनंदा आईपीए की एक टीम से जुड़ी थीं। टीम को मंत्री शशि थरूर द्वारा फायदा पहुंचाने का आरोप था।

मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक मौके पर कहा- 'मैं जब भी आग्रह करता हूं तो महिलाओं से तो यही कहता हूं कि मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित ड्रेसअप और मर्यादित फैशन रहेगा तो समाज में अराजकता नहीं आएगी, क्योंकि महिलाओं को ऐसा शृंगार करना चाहिए जो देखने वाले में महिला के प्रति श्रद्धा पैदा करे। दुर्भाग्य से, कभी-कभी महिलाओं का ड्रेसअप ऐसा होता है कि उत्तेजना आ जाती है।'

गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर केके संधू ने बलात्कार के मामले बढ़ने पर महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद संभालें। उस दौरान स्थानीय प्रशासन ने रात के आठ बजे के बाद महिलाओं के ड्यूटी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

कर्नाटक के महिला एवं शिशु कल्याण मंत्री सीसी पाटिल का बयान आया था कि पुरुषों को भड़काने के लिए फैशनेबल और शीने कपड़े जिम्मेदार हैं। इसलिए बलात्कार के बढ़ते मामलों के लिए यही जिम्मेदार हैं। यह दीगर बात है कि महिलाओं को मोरल लेसन देने वाले पाटिल कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपने मोबाइल पर पॉर्न क्लिपिंग देखते पकड़े गए। उन्हें इस मुद्दे पर मचे बवाल के बाद पद से इस्तीफा भी देना पड़ा।

खाप नेता जितेंद्र छत्तर ने कहा कि हरियाणा में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के लिए तेजी से फैल रही फास्ट फूड संस्कृति दोषी है। फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर डालती है। जब लोग फास्ट फूड खाते हैं तो गर्मी पैदा होती है जिससे शरीर में सेक्स हार्मोन तेजी से बनने लगता है और खाने वाला बेकाबू हो जाता है।

टीम अन्ना की सदस्य रहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने मीडिया से बातचीत में बलात्कार को 'छोटी-मोटी घटना' बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया भ्रष्टाचार के मामले को ठीक से नहीं उठा रहा है। इसके बदले वह दुष्कर्म की छोटी घटना पर बहस कर रहा है।

■ पूजा कुमारी

13 दिन का संघर्ष

दिल्ली में 16 दिसम्बर को कुछ वहशी दरिंदों की बर्बरता का शिकार बनी 23 वर्षीया पीड़िता ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 13 दिन के संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया। इन 13 दिनों के घटनाक्रम पर एक नजर

16 दिसम्बर
- वसंत विहार इलाके में चलती बस में छात्रा से गैंगरेप।
- छात्रा और उसके दोस्त को महिपालपुर में बस से फेंका।
- दोनों गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती।
- पीड़ित छात्रा का पहला ऑपरेशन।
- पुलिस ने दर्ज किया केस।

17 दिसम्बर
- पीड़ित छात्रा की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखा।
- गैंगरेप केस की संसद में गूंज, फांसी की मांग।
- वसंत विहार थाने के बाहर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन।
- रेप में इस्तेमाल चार्टर्ड बस बरामद।
- बस की फॉरेंसिक जांच में मिले खून के धब्बे।
- बलात्कार के 4 आरोपी गिरफ्तार।

18 दिसम्बर
- छात्रा की हालत और बिगड़ी।
- संसद में हंगामा, सड़कों पर प्रदर्शन।
- गृहमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री को सोनिया का खत।
- गृहमंत्री ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा।
- सोनिया अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलीं।

19 दिसम्बर
- पीड़ित छात्रा का दूसरा ऑपरेशन।
- छात्रा की छोटी आंत काटकर निकाली।
- दिल्ली के अलावा देशभर में प्रदर्शनों का दौर।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान।

20 दिसम्बर
- पीड़ित का पहला मेडिकल बुलेटिन।
- लड़की की हालत में मामूली सुधार।
- डॉक्टरों ने कहा खतरा बरकरार।

21 दिसम्बर
- पुलिस ने कोर्ट को दी स्टेटस रिपोर्ट।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट।
- लड़की को वेंटिलेटर से हटाया।
- लड़की के दोस्त ने आरोपी की शिनाख्त की।
- बिहार से एक और आरोपी गिरफ्तार।

22 दिसम्बर
- दिल्ली में गैंगरेप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन।
- इंडिया गेट पर हजारों लोगों का धरना।
- अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक।
- एसडीएम ने लिए लड़की के बयान।

23 दिसम्बर
- इंडिया गेट पर प्रदर्शन में हिंसा।
- पुलिस ने लाठियां चलाईं, आंसू गैस छोड़ी।
- कांस्टेबल सुभाष तोमर गंभीर रूप से जख्मी।
- लड़की के शरीर में खून का बहना जारी।

24 दिसम्बर
- लापरवाही बरतने पर दो पुलिस अधिकारी निलंबित।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संदेश, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन।
- दिल्ली की अदालत में गैंगरेप के दो आरोपियों ने गुनाह कबूला।

25 दिसम्बर
- दूसरी बार एसडीएम के सामने लड़की के बयान।
- पीड़ित लड़की की हालत फिर बिगड़ी।
- कांस्टेबल सुभाष तोमर की अस्पताल में मौत।

26 दिसम्बर
- कांस्टेबल की मौत पर विवाद, चश्मदीद आए सामने
- पिटाई से मौत के दावे को झुठलाया
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक चोट से मौत की पुष्टि
- जंतर मंतर पर लोगों के प्रदर्शन जारी।
- लड़की को अचानक दिल का दौरा पड़ा।
- रात को विशेष विमान से पीड़ित सिंगापुर रवाना।

27 दिसम्बर
- पीड़ित लड़की सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती।
- आईसीयू में भर्ती लड़की की तबीयत में सुधार नहीं।
- दिल्ली की सड़कों पर 3 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात।

28 दिसम्बर
- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की जल्द न्याय की मांग।
- अस्पताल में पीड़ित की हालत बेहद नाजुक।
- फेफड़ों और दिमाग में इनफेक्शन फैला।
- एक साथ कई अंगों ने काम करना बंद किया।

29 दिसम्बर
- गैंगरेप पीड़िता की सुबह 2.15 बजे मौत।
- 13 दिन के संघर्ष के बाद हार गई जिंदगी।

प्रदर्शनकारी महिलाओं को 'रंगी पुती' कहा फिर माफी मांगी अभिजीत ने

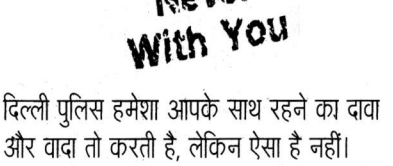

दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ रहने का दावा और वादा तो करती है, लेकिन ऐसा है नहीं।

राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, छेड़छाड़ और बलात्कार की हर घटना के बाद पुलिस के सामने दो अहम सवाल रखे गए। पहला यह कि उक्त मामले में पुलिस क्या कर रही है? दूसरा यह कि ऐसे मामले दोबारा न हों, इसके लिए क्या पुख्ता कदम उठाए गए हैं? हर बार पुलिस का जवाब यही था, 'हम मामले की जांच कर रहे हैं। रात के समय सड़कों पर गश्त बढ़ाई जाएगी, महिला सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।' गैर जिम्मेदारी के मामले में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड काफी पुराना है।

2012
में सामने आए बलात्कार के 582 मामलों ने पुलिस के इस रिकॉर्ड और दिल्ली की असुरक्षित छवि के अहसास को और भी पुख्ता कर दिया है।

2010
में मणिपुर की एक 30 साल की बीपीओ कर्मी को शराब के नशे में धुत चार आदमियों ने धौला कुआं के नजदीक एक चलती गाड़ी में गैंग रेप किया। फिर पुलिस ने अपने वही पुराने वादे दोहराए।

2005
में राजधानी फिर एक वीभत्स हादसे की गवाह बनी। धौला कुआं के पास चलती कार में चार लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का बलात्कार किया। इस बार फिर से पुलिस ने गश्त बढ़ाने की बात कही। इसी साल मायपुरी पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर एक चार महीने की गर्भवती महिला का एक सफेद कार में अपहरण कर बलात्कार किया गया। दिल्ली पुलिस ने फिर कहा, "दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा करें, वह आपके साथ है।"

2003
में सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में दो आदमियों ने एक स्विस राजनयिक के साथ उसी की कार में बलात्कार किया। बलात्कार के बाद महिला को मार-पीटकर और पैसे लूटकर कुछ किलोमीटर दूर कार समेत फेंक दिया गया। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से पार्किंग एरिया में हर वक्त रोशनी की पुख्ता व्यवस्था करने के आदेश जारी किए और गश्त बढ़ाने की बात कहकर मामले को टाल दिया गया।

2002
इन सारे वादों की कलई भी तब खुल गई जब 15 नवंबर के दिन बहादुर शाह जफर मार्ग जैसी व्यस्त सड़क पर दिन दहाड़े तीन लोगों ने मौलाना आजाद मेडीकल कॉलेज की एक छात्रा को खूनी दरवाजे की छत पर ले जाकर बलात्कार किया। हैरत की बात है कि घटना पुलिस हेडक्वार्टर से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर हुई और किसी को खबर तक नहीं लगी। पुलिस ने यही कहा कि जांच हो रही है।

2001
में मथुरा रोड और साउथ दिल्ली के बीच चलने वाली ब्लूलाइन बस में चार आदमियों ने एक 26 साल की महिला का बलात्कार करने के बाद उसे बस से नीचे फेंक दिया। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर आए और उन्होंने जेवाब मांगा। पुलिस ने कहा, रात के समय सड़कों पर गश्त बढ़ाई जाएगी। बसों की जांच की जाएगी।

कानून बदलिए और नजरिया भी

परिदृश्य

बृंदा करात
edit@amarujala.com

सरकार और पुलिस ने अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी की होती और पहले तय किए जा चुके कदमों को लागू किया होता, तो दामिनी का यह हश्र नहीं होता। मिसाल के तौर पर, बसों की खिड़कियों में काले कांच लगाने की इजाजत न देना तथा ऐसे शीशों वाली बसों के मालिकान को सजा देना। इन छोटे-छोटे कदमों के न उठाए जाने के कारण राजधानी के बीचोबीच चलती बस में एक युवती के साथ ऐसी दरिंदगी हो सकी। दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच खींचतान के चलते उस लड़की को एक नहीं, तीन-तीन बार अपना बयान दर्ज कराना पड़ा था-पहले पुलिस के सामने, फिर एसडीएम के सामने और आखिर में मजिस्ट्रेट के सामने। याद रहे कि ऐसा उस मामले में हुआ, जिस पर पूरे देश की आंखें लगी हुई थीं। यह पूरा मामला बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिहाज से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं तथा ढांचों की विसंगतियों को भी उजागर करता है और शासन-प्रशासन की घोर गैर जवाबदेही को भी। ये कमजोरियां तब और मारक हो जाती हैं, जब यौन हिंसा करने वाले सामर्थ्यशाली हों।

बलात्कार देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे अपराधों में है। इसमें तथाकथित आधुनिकीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत अंधाधुंध उपभोगवाद पर टिकी संस्कृति को आक्रामक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। बाजार की हमलावर संस्कृतियां सामाजिक जीवन में पशु भावनाओं को उन्मुक्त कर, नारी शरीर की निजता के लिए खतरा और बढ़ा रही हैं। इस भयावह त्रासदी के बाद कम से कम अब तो केंद्र और राज्य सरकारों को जागना चाहिए और यौन हमले से संबंधित कानून व प्रक्रियाओं में संशोधन की लंबे अरसे से चली आ रही मांग पूरी करने के लिए कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि संबंधित कानून के लिए महिला संगठनों ने एक सर्वसमावेशी मसौदा भी तैयार किया था, जो तीन साल से सरकार के पास विचाराधीन है। उसे कानून का रूप दिलाने के बजाय सरकार ने एक कमजोर विधेयक पेश किया है। ऐसे में महिलाओं से संबंधित कानून में बदलाव के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की सार्थकता तो तभी होगी, जब हमारे कानून निर्माता ऐसे मुद्दों के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हों।

चालीस साल पहले बलात्कार के मामलों में 46 फीसदी दोषियों को सजा मिलती थी, जो आज घटकर 26 फीसदी रह गई है।

सबसे चिंताजनक है कि दोषियों को बहुत कम ही सजा मिलती है। इसी कारण बलात्कारियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। आज से चालीस साल पहले बलात्कार के आरोपियों में 46 फीसदी को सजा मिल जाती थी, आज यह अनुपात घटकर 26 फीसदी पर आ गया है। आए दिन अदालतें दोष साबित होने पर भी कमतर सजा देती हैं, और बहुत बार तो दोषी के अनुकूल जाने वाले कारकों के नाम पर सजा को घटाकर न्यूनतम स्तर पर ले आती हैं। पिछले दिनों बलात्कार और हत्या के एक मुजरिम की सजा इसलिए कम की गई, क्योंकि अपराध के समय वह नशे में था, और उसे पता नहीं था कि वह जो कर रहा है, उसका क्या परिणाम होगा। दामिनी के मामले में भी तो बलात्कारी शराब पिए बताए गए हैं। 2011 में ही बलात्कार के पूरे 80,000 मामले अदालतों के सामने विचाराधीन पड़े हुए थे। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए और इन मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना चाहिए।

बहरहाल, जैसा कि सभी जानते हैं, सिर्फ कानून बनाना या उसका पालन कराना ही इसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा। आज समाज पर हावी उस समूचे सोच को बदलने की जरूरत है, जो किसी न किसी तरह से पीड़िता को ही यौन हमले के लिए दोषी बताने की कोशिश करता है। इस नजरिये को बदलने में जनप्रतिनिधियों को नेतृत्वकारी भूमिका अदा करनी चाहिए। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील आचार संहिता होनी चाहिए, ताकि उन्हें महिलाओं के प्रति निरादरपूर्ण बयानबाजी से रोका जा सके, जो अब आम हो चली है। महिलाएं बराबरी की हैसियत से सार्वजनिक मैदान में आएं, इसके लिए कानून, सुरक्षा प्रबंध तथा सामाजिक नजरिये में बदलाव की जरूरत है। जिंदगी के अधिकार से ही वंचित कर दी गई युवती के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि कानूनों में, राजनीति में तथा खुद अपने अंदर भी हम सुधार करें, और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जवाबदेही के कठघरे में खड़ा किया जाए।

छेड़खानी के खिलाफ कब सख्त कानून!

मुद्दा

सरोजिनी बिष्ट

गुवाहाटी के बहुचर्चित जीएस मार्ग 'यौन अपराध' मामले में कामरूप की अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में 'यौन अपराध' शब्दावली का प्रयोग दो कारणों से जरूरी है। पहला, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, वह महज छेड़खानी वाला अपराध नहीं और दूसरा दोषियों को जिस धारा के अंतर्गत सजा सुनाई गई (आईपीसी की धारा 354), वह यौन अपराध के मामलों में लगाई जाती है यानी जब स्त्री की मर्यादा भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर-जबरदस्ती हो। इस धारा के तहत अपराधी को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है जो गुवाहाटी मामले में भी देखने को मिला। कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी मोइत्रा ने दोषियों को दो साल कारावास के साथ तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। देश को शर्मसार करते हुए लगभग पांच महीने पहले घटी उक्त घटना ने जताया कि मनोरंजन के लिए मनचले किस हद तक इंसानियत की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एक लड़की पर अचानक मनचलों की भीड़ का टूट पड़ना, उसके साथ खुलेआम छेड़छाड़ करना, उसके कपड़े तक फाड़ डालना, उसे यहां-वहां घसीटना और लगभग आधे घंटे तक अपने कब्जे में रखकर हर वो मनमानी करना जो बलात्कार की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। सवाल है कि ऐसी जघन्य हरकत के लिए क्या इतनी सजा भर काफी है?

विडम्बना है कि आज भी छेड़छाड़ या यौन अपराध जैसे मामलों में कानून दोषियों के प्रति उतना सख्त नहीं है, जितना उसे होना चाहिए। छेड़छाड़ का दोष साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत एक साल कैद की सजा और जुर्माना लगता है। धारा 509 यानी स्त्री की मर्यादा का अपमान करने की नीयत से गलत या अश्लील शब्दों का उच्चारण, इशारेबाजी या किसी वस्तु का प्रदर्शन करना आदि। गुवाहाटी कांड में तो इससे कई बढ़कर घटनाएं अंजाम दी गईं और सजा मिली महज दो साल। कहा जाए कि इस घटना को 'छेड़खानी' के तौर पर ही देखा-परखा गया तो गलत नहीं। यानी यहां भी अपराध की गंभीरता नजरअंदाज कर दी गई। इस घटना को 'खुलेआम नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला' कहते हुए ही बयां किया जाता रहा है लेकिन इतने जघन्य मामले को हम केवल 'छेड़खानी' की संज्ञा देंगे तो सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों या महिलाओं पर मनचलों की मौखिक अश्लील टिप्पणियों के लिए तो कोई परिभाषा ही नहीं बचती, सजा दूर की बात है।

कानून के जानकार तक मानने लगे हैं कि महिलाओं

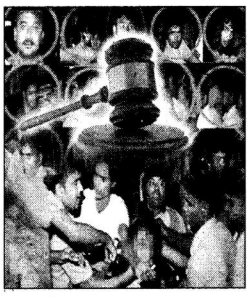

या किशोरियों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा या छेड़खानी के मामले में कानूनों में संशोधन जरूरी है, जहां दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के साथ परिभाषा में भी कुछ फेरबदल हो। एक शब्दावली है 'सेक्सुअल असॉल्ट' यानी 'यौन हमला'। फिलहाल 'रेप' की जगह 'सेक्सुअल असॉल्ट' शब्द किमिनल लॉ संशोधन विधेयक के तहत रखा गया है जिसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। कहा जा रहा है कि यह संशोधन महिला पुरुष दोनों के समान अधिकार के नजरिए से किया जा रहा है इसलिए रेप की जगह 'सेक्सुअल असॉल्ट' नाम दिया जाएगा।

फिलहाल सवाल है कि गुवाहाटी जैसी घटनाओं को किस परिभाषा के दायरे में रखा जाएगा? क्या इस तरह की घटनाएं यौन हमले के तहत आने वाला अपराध नहीं? हाल में झारखंड के जमशेदपुर में 15 साल की एक छात्रा ने कुछ मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर मामगो पुल से नदी में कूद कर जान देने की कोशिश की जिसे कुछ लोगों ने बचा लिया। मनचलों ने धमकी दी थी कि यदि वह उनकी करतूतों को किसी को भी बताएगी तो वे उसके भाई और पिता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सवाल है कि इन मनचलों पर क्या उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा जो महज छेड़खानी के तहत लगाई जाती हैं। यानी दोषी लड़के हरकतें भी करते रहें और कानून उन्हें जमानत भी दे दे। इसलिए रेप की घटनाओं के साथ-साथ छेड़खानी की घटनाओं को भी व्यापक दायरे में रखना व समझना होगा। कानूनों में संशोधन करते हुए मनचलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो।

दरअसल समस्या भी यहीं से पैदा होती है। कानून ढील देता है तो मनचलों के हौसले बढ़ना स्वभाविक है। गुवाहाटी के जीएस रोड कांड का साक्षी पूरा देश था तो हर स्तर पर दबाव लाजिमी था सो अपराधियों को सजा मिल गई लेकिन आए दिन होने वाली छेड़खानी या अश्लील हरकतों के बढ़ते मामले सवाल उठाते हैं कि कानून इन अपराधियों के खिलाफ कब सख्त होगा! फिलहाल तो दोषियों को जमानत मिलने में कोई देर नहीं लगती और एक डर जो शिकायतकर्ता को हमेशा रहता है कि छूटने के बाद दोषी व्यक्ति उससे बदला ले सकता है। इस डर के साये में जीने वाली कई लड़कियां आत्महत्याएं तक कर चुकी हैं। अंततः शीर्ष अदालत तक को स्वीकारना पड़ा कि छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज भी हमारे पास मनचलों के खिलाफ सख्त कानून नहीं। छेड़खानी की हरकतें रोकने के लिए उसे गाइडलाइन तक देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जब तक इस मामले में सख्त कानून नहीं बनता तब तक राज्य उसकी गाइडलाइन पर ही काम करें। छेड़खानी के मामलों पर अंकुश के लिए मनचलों के खिलाफ कठोर कानूनों की मांग लंबे समय से उठ रही है यानी गैर जमानती धाराएं लागू हों। फिलहाल कानून का डंडा मनचलों के खिलाफ कितना सख्त होगा, यही बड़ा सवाल है।

जान की आफत बनती छेड़खानी

मुद्दा

सरोजिनी बिष्ट

कानून के डर को ठेंगा दिखाते हुए मनचलों और दुष्कर्मियों के बढ़ते हौसलों ने हमारी बेटियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। कभी इनकी हरकतों ने किसी की जान ले ली तो कभी किसी को जिंदा तक जला डाला गया। पिछले दिनों बिहार शरीफ में घटी दर्दनाक घटना हमारे सामने है जहां पीजी की एक छात्रा को कुछ मनचलों ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि वह अपने साथ होने वाली यौनहिंसा हरकत का विरोध कर रही थी। चार लड़कों ने जब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और लड़की के साहस के आगे वे सफल न हो पाए तो अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए लड़कों ने उसे जिंदा जला डाला। हालांकि काफी हद तक जल जाने के बावजूद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ बयान दे दिया।

एक दूसरी घटना में बिहार के ही सीतामढ़ी की विज्ञान की एक होनहार छात्रा उन मनचलों से परेशान थी जो उसे कॉलेज आते-जाते परेशान करते थे। यहां तक उन्होंने डरा धमकाकर उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींचीं। भयभीत होने की बजाए छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए मनचलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई परंतु नाकारा पुलिस ने लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। पुलिस के असहयोग और मनचलों के बुलंद होते हौसलों से हारी छात्रा ने अंततः 28 अगस्त को आत्महत्या कर ली। भारी जनदबाव और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस भले अब इस मामले में मुस्तैद हुई हो लेकिन उसकी मौत के जिम्मेवार जितने वे दुश्चरित्र लड़के हैं उतनी ही पुलिस भी। कुछ समय पहले जालंधर (पंजाब) के एमसीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बीटेक की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला भी सामने आ चुका है। सुसाइड नोट में उसने उन लड़कों का नाम भी उजागर किया था जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहे थे लेकिन विरोध और शिकायत के बावजूद लड़कों की हिम्मत बढ़ती गई।

चिंतनीय प्रश्न है कि लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और छेड़छाड़ की घटनाएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। लाख सरकारी दावों और कानूनों के बावजूद हम अपनी बेटियों को एक ऐसा सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं जहां वे बिना भय के स्वच्छंदता से जीवन यापन कर सकें। कोई लड़की साहस करते हुए ऐसे शोहदों के खिलाफ शिकायत करने का साहस करती भी है तो अक्सर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है।

सवाल है कि छेड़खानी की बढ़ती घटनाएं क्या हमारे कानून के उस कमजोर पक्ष का परिणाम हैं जहां छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है या समाज के लगातार पतन की ओर जाने का संकेत? कारण कारण चाहे जो हों, परिणाम सामने हैं। जहां एक तरफ पुरुष पाशविकता और महिला विरोधी मानसिकता से संघर्ष जारी है, वहीं कहीं इतना सामाजिक दबाव हावी है कि लड़कियां मानसिक यातना के चलते जान तक गंवा दे रही हैं। किसी लड़की को डरा-धमकाकर अश्लील तस्वीरें खींचना और फिर सोशल साइट्स के जरिए उसे बदनाम करना जैसी हरकतें उसके मान सम्मान को तहस-नहस करने के लिए काफी हैं।

ऊपर से शासन-व्यवस्था से न्याय न मिलने की उम्मीद पीड़ित लड़की को जानलेवा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन सवाल है कि इसी सभ्य समाज का अंग वे मनचले भी हैं जो लड़कियों को अपने मनोरंजन का साधन मानते हैं और इसी सभ्य समाज का अंग वे भी हैं जो पीड़ित की लड़ाई लड़ने की बजाए उसका मनोबल तोड़कर रख देते हैं।

निश्चित ही यह हमारे सिस्टम की नाकामी को ही दर्शाता है। एक ओर जोर-शोर से बेटियों को बचाने की मुहिमें चलाई जाती हैं तो दूसरी ओर जीवन रक्षा की गुहार लगाने वाली बेटियों की आवाज अनसुनी कर दी जाती है। ज्यादतर घटनाओं में यौन शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ की शिकार युवतियां अपने साथ हुई घटना से ज्यादा उद्विग्न उस छिछली व्यवस्था से होती हैं, जहां उन्हें भी एक मुजरिम की भांति कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कभी उसके स्वतंत्र मिजाज तो कभी उसके आधुनिक कपड़ों को उसके साथ घटी घटना का नतीजा मानने के बेहूदा उदाहरण भी हमारे सामने हैं और एक शर्मनाक बयान यह भी कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को सेक्सी कहकर छेड़ता है तो लड़की को क्रोधित होने की बजाए यह मानना चहिए कि दूसरे अर्थों में वह उसे खूबसूरत और आकर्षक ही कह रहा है। इस तरह के बयान क्या मनचलों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी नहीं? एक तरफ हमारी बेटियां छेड़खानी और अश्लील हरकतों की शिकार होकर अपनी जिंदगी तक को दाव पर लगाने को मजबूर हो रही हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग लड़कियों में लड़ने का हौसला बढ़ाने के बजाए गैर जिम्मेदराना रवैया और बयानबाजी करके दोगली मानसिकता का परिचय दे रहे हैं।

इस मामले में झारखंड के धनबाद का बहुचर्चित तेजाब कांड की भी चर्चा प्रासंगिक है जहां एक लड़की मोहल्ले के मनचलों की छेड़खानी और मानसिक शोषण का शिकार होती है और जब इसका विरोध करती है तो उसके चेहरे को तेजाब से जला दिया जाता है। उक्त जुझारू लड़की हालांकि आज भी अपने खिलाफ हुई हिंसा की लड़ाई लड़ रही है लेकिन इस घटना के सालों बाद भी वह अपनी पीड़ा से उबर नहीं पाई है। इन सारी स्थितियों के मद्देनजर यही कहा जा सकता है कि भले ही काफी हद तक हमने अपनी लाडलियों को अपना भविष्य बनाने की खातिर घर की चाहरदीवारी से आगे का रास्ता चुनने की इजाजत दे दी हो, फिर भी हमारा समाज उनके प्रति इतना उदार नहीं हो पाया जितने की वे आकांक्षी और हकदार हैं। बचपन से ही हमारी बेटियों को 'मर्यादा' में रहने का पाठ पढ़ाया जाता है, 'इज्जत' की दुहाई दी जाती है लेकिन बेटों के मामले में इस तरह के पाठ की कोई अहमियत नहीं समझी जाती। तभी तो लड़कियों से खिलवाड़ करने वाले लड़कों की विक्षिप्त मानसिकता और क्रूरता सारी हदें पार कर जाती है। निश्चित ही लड़कियों को उपभोग की वस्तु मानकर इस तरह का कृत्य करने वाले बीमार मानसिकता के ही हो सकते हैं।

बहरहाल, बढ़ते अपराध के मद्देनजर लड़कियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा आज अहम हो चला है। निश्चित ही कड़े कानूनी प्रावधान के साथ सामाजिक प्रयासों से ही इन अपराधों पर अकुंश लगना संभव हो पाएगा। लेकिन घर-परिवार का परिवेश भी इसके लिए जिम्मेदार है।

बलात्कार निरोध, उर्फ समरथ को नहिं दोष

देश और समाज

मृणाल पांडे

हाल के दिनों में आई दबंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर या 'बॉडीगार्ड' सरीखी फिल्मों तथा फूहड़ कॉमेडी शोज में महिलाओं के साथ जोर ज़बर्दस्ती का रूमानीकरण और फूहड़ महिला विरोधी चुटकुलों से हास्य परोसने वाले कॉमेडी कार्यक्रमों की सफलता साबित करती है कि आम लोगों के बीच औरत को एक हीन उपभोग्या माननेवाला यह सोच शेष देश में भी कितना व्यापक और सहज स्वीकार्य बन गया है।

हरियाणा इन दिनों कतई गलत वजहों से सुर्खियों में है। एक तरफ उसके खिलाफ संदिग्ध जमीन अधिग्रहण और खरीदी के मामलों को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन महाभारतकालीन शिशुपाल की भूमिका में लगातार कड़वे सवालिया तीर फेंक रहा है। दूसरी तरफ महज तीस दिनों के भीतर बलात्कार के पंद्रह संगीन मामले राज्य में उजागर हुए हैं। जमीन से जुड़े मसले जटिल हैं और अभी उसके ब्योरे तथा फलादेश दूर तलक जाएंगे, लिहाजा उस पर अलग से चर्चा फिर। फिलवक्त हम इलाके में कमउम्र लड़कियों के साथ बलात्कार की बढ़ती वारदातों और उस पर नेताओं की प्रतिगामी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान टिकाना चाहेंगे।

सराहनीय आर्थिक तरक्की के बावजूद देश का यह राज्य महिलाओं, दलितों के प्रति हो रहे अपराधों, राजनेताओं के भ्रष्टाचार तथा अवैध कन्या भ्रूण हत्या के निंदनीय पैमानों पर भी बहुत ऊपर नजर आता है। वजह यह कि यह तमाम अपराध कमजोर वर्ग के प्रति हिकारत और जर, जोरू, जमीन पर ताकतवर पुरुषों का सहज हक समझने को राज समाज से लगातार दी जा रही व्यापक और मूक स्वीकृति से उपजते और खाद-पानी पाते हैं। और यह प्रवृत्ति राज्य में अमीरी आने के बाद भी घटी नहीं, बल्कि नया रूप पकड़ रही है। इसी मानसिकता के दबाव से कन्या भ्रूण हत्या का चलन वहां लगातार बढ़ रहा है और महिलाओं की तादाद में इतनी गिरावट आ चुकी है कि युवाओं को शादी के लिए बाहरी राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। राज्य के गांवों के तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण खेती की पुश्तैनी जमीन बिल्डरों को जमीन बेचकर रातोंरात संपन्न बने कई खेतिहर परिवारों में कर्मठ खेतिहर जीवन शैली भी गायब हो गई है। जिन कुछ बड़े जोतदारों ने राजनीतिक सरपरस्ती हासिल कर खुद बिल्डर का धंधा चमका लिया है, उनके घरों के बिगड़ैल युवा अकसर दिन भर निठल्ले बैठे शराब पीते ताश खेलते और रातों को दिल्ली और गुड़गांव में नई नकोर गाड़ियों में फर्राटा भरते पब्स से सड़कों तक लड़कियों को छेड़ते, उठाते हड़कंप मचाते देखे जा रहे हैं।

राज्य में कई खाप पंचायतों के महिला विरोधी फतवों और लड़कियों के लगातार घटते अनुपात (हजार लड़कों के पीछे औसतन 762 लड़कियां) से साफ है कि बेटियों के प्रति इस राज्य में उत्कट और व्यापक घृणा के चलते जवान बेटों को बहुएं न मिलें, तो न सही, पर आज भी लोग बाग अपने घरों में बेटी का जन्म कतई नहीं चाहते। यही नहीं, अब एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की ताजा सलाह है कि 'इज्जतदार' लोगों को अपनी लड़कियों को रेप से बचाना है, तो वे खाप पंचायतों की सलाह मानें और उनको जल्द से जल्द ब्याह दें। अचरज क्या कि इस मानसिकता वाले नेताओं के राज्य में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप होने के बाद जब उसे कोई न्याय नहीं मिला, तो वह जल मरी। दूसरी गीतिका शर्मा राज्य के एक ताकतवर बिल्डर मंत्री की हवस का शिकार बनी और कोई सुनवाई न होने पर आत्महत्या को विवश हुई। हरियाणा के सयानों तथा उनके ताकतवर संगठनों से बलात्कार की रोकथाम पर जो सद्विचार सामने आए हैं, वे दिखाते हैं कि महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है। वे फर्माते हैं :

- लड़कियों का ब्याह जल्दी कर देना चाहिए, ताकि उनमें यौन हवस बेकाबू न होने पाए।
- लड़कियों से मोबाइल छीन लेने चाहिए, ताकि वे लड़कों से बेवजह बतियाती न रहें।
- लड़कियों को दिन ढलने के बाद सड़कों पर बिना अभिभावक के नहीं निकलने देना चाहिए।

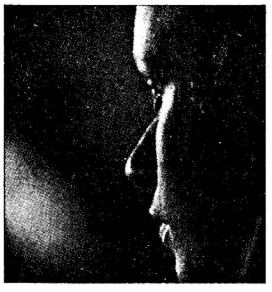

- शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के जीन्स टॉप या स्कर्ट पहनने पर रोक लगे।
- लड़कियों को ज्यादा उम्र तक पढ़ाना लिखाना खतरनाक है, क्योंकि कॉलेजों में सहशिक्षा के चलते वे प्रेम संबंध बनाकर जात-बिरादरी के बाहर शादी कर लेती हैं।
- सगोत्री या गैर जाति में विवाह की सजा मौत!

यह देखना कठिन नहीं कि इन सुझावों का लक्ष्य अपराधियों की पकड़-धकड़ और समुचित सजा का प्रावधान नहीं, बल्कि उत्पीड़ित-वर्ग को ही घर की चहारदीवारी की कैद में असूर्यंपश्या बनाकर चाभी 'इज्जतदार' पुरुषों को थमा देना है। न बाहर निकलेगी लड़की, न होंगे बलात्कार। वे कतई देखना नहीं चाहते कि घरों के भीतर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा या बच्चियों के साथ स्वजनों द्वारा बलात्कार के मामले अब तक कुल बलात्कारों का 40 फीसदी भाग बन चुके हैं। सच तो यह है कि एक कन्या विरोधी समाज में महिला प्रजाति के खिलाफ अपराध सिर्फ तभी दंडनीय माने जाते हैं, जब वे 'इज्जतदार' मानी गई जाति या परिवार की 'बेइज्जती' का प्रकरण बन गए हों या उनकी मार्फत राजनीतिक उल्लू सीधे किए जा सकें। वरना महिलाएं चिल्लाती रहें, उनकी कौन सुनता है, उल्टे थाने से लेकर पड़ोसी तक उनको और अधिक भोग्या मान लेते हैं। जब थाने में दर्ज किए जाने से लेकर अदालत में बलात्कारी को दंड मिलना, न मिलना अकसर इस पर ही निर्भर है, कि बलात्कार पीड़िता दलित थी कि सवर्ण? उत्पीड़न उसकी जाति के लोगों ने किया था कि दूसरी जाति-समुदाय वालों ने? उस बलात्कार का आरोपी कोई जाना-माना व्यक्ति है या सड़क छाप चरसी? ऐसे में देश के कानून के तहत आप बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान करा दें, वह कागज पर ही रह जाएगा और बलात्कारी फिर भी दंड का सहज भागी नहीं माना जाएगा।

जहां तक पारंपरिक सामाजिक संगठनों का सवाल है, वे तो यही मानकर चल रहे हैं कि औरत अपनी दशा के लिए खुद जिम्मेदार है। वे समझते हैं कि यौन हिंसा अकारण किसी महिला पर नहीं बरपा होती, कहीं न कहीं बलात्कार पीड़िता (अपने चाल, चरित्र या चेहरे से) ही पुरुष को उकसाती और उसे बलात्कार को न्योतती है। और इसलिए यदि समाज में बलात्कार रोकना है, तो हरियाणा की खाप पंचायतों तथा धार्मिक संगठनों की राय में सहशिक्षा, आधुनिक परिधान या लड़की के 18 साल की उम्र के बाद ही शादी की इजाजत देने वाले कानून पर, जो सारी दुनिया में एक लड़की की सही बाढ़ के लिए जरूरी और उसके सहज मानवाधिकार मान लिए गए हैं, तुरंत रोक लगानी होगी।

सोचने की बात है कि बिना व्यापक जन सहमति के कोई भी जातीय या धार्मिक संगठन प्रतिगामी खयालों को इस बरह थोप नहीं सकते। और कहीं न कहीं आम जन, वह चाहे मजलिसों या मीडिया में जो कहे, भीतर-भीतर अब भी महिला के यौन उत्पीड़न को चटखारे लेने लायक या हास्यास्पद मसला मानता है। हाल के दिनों में आई *दबंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर या 'बॉडीगार्ड'* सरीखी फिल्मों तथा फूहड़ कॉमेडी शोज में महिलाओं के साथ जोर जबर्दस्ती का रूमानीकरण और फूहड़ महिला विरोधी चुटकुलों से हास्य परोसने वाले कॉमेडी कार्यक्रमों की सफलता साबित करती है कि आम लोगों के बीच और को एक हीन उपभोग्या माननेवाला यह सोच शेष देश में भी कितना व्यापक और सहज स्वीकार्य बन गया है।

हाल के दिनों में जिस तरह से हरियाणा में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके चलते न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं बल्कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 16 साल और लड़कों की उम्र 21 से घटाकर 18 कर देने के तर्क भी दिये जा रहे हैं। अधिकतर हादसे दलित महिलाओं के साथ ही हुए। अगर बलात्कार के मामलों में सख्त कार्रवाई होती और कठोर सजा मिलती तो लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती थीं

अपराध का कलंक किस-किसके सिर !

व्यौन हिंसा

अलका आर्य

'राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक चिंता बलात्कार के मामलों में वृद्धि और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की लेकर है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।' सर्वोच्च अदालत की एक खंडपीठ ने हाल में बलात्कार के एक मामले में फैसला सुनाते हुए तथ्यपरक सच्चाई हमारे सामने रखी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य और उसका बुद्धिजीवी वर्ग व समाज इससे नावाकिफ हो मगर देश की शीर्ष अदालत जब ऐसे जघन्य अपराध पर राज्य, अदालत व समाज का ध्यान खींचती है तो इस पर चर्चा का गंभीर माहौल तैयार होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं दिख रहा, खासकर राजनेताओं की तरफ से। 15 अक्तूबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के मुखपत्र के विशेष पूजा संस्करण को रिलीज करते हुए टिप्पणी की कि अधिक आजादी की वजह से बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक अब सब कुछ खुला है। यहं खुले बाजार जैसा है, जहां हर तरह के विकल्प हैं।

हरियाणा, जो 'रेप कैपिटल' के तौर पर जाना जाने लगा है, वहां कांग्रेस प्रदेश प्रमुख फूलचंद मौलाना ने राज्य में बलात्कार की घटनाओं के पीछे सत्ता को बदनाम करने वाली साजिश की ओर इशारा किया। हरियाणा के ही एक कांग्रेसी प्रवक्ता धरमबीर गोयत ने 11 अक्टूबर को हिसार में कहा था कि बलात्कार के 90 प्रतिशत मामलों में सहमति होती है। लड़की का लड़के से अफेयर हो जाता है और लड़की बिना यह जानकारी लिए लड़के के साथ चली जाती है कि वह आपराधिक मानसिकता का है।

इधर खापों के एक धड़े का कहना है कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए शादी की उम्र 18 से घटाकर 15 कर देनी चाहिए और इसके लिए उसने हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की वकालत की है। खाप प्रतिनिधियों की राय में जब दूसरे धर्मों में 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करने की इजाजत है तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में आयु सीमा 18 साल क्यों? देश का संविधान जब एक है तो शादी के नियम अलग-अलग क्यों? सरकार को माता-पिता को यह हक

- देश में एक ओर बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर इसके खिलाफ कानून-व्यवस्था व मशीनरी की प्रभावशून्यता दिख रही है। इस समस्या के समाधान के प्रति 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाने की बजाए स्थिति 'जीरो पॉलिटकल विल' की है
- इसका एक चिंताजनक पहलू अदालतों में ऐसे मामलों के निपटारों की लंबी प्रक्रिया व दोषियों की सजा दर में गिरावट है। बीते दो दशकों में ऐसे मामलों के लंबित रहने की दर काफी बढ़ी है

देना चाहिए कि वह चाहें तो 16 साल की लड़की व 18 साल के लड़के की शादी कर सकें।

हरियाणा के एक आला पुलिस अधिकारी व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बलात्कार की घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने के लिए मीडिया की आलोचना की तो सोमवार (15 अक्तूबर) को हरियाणा के रोहतक में लघु सचिवालय के बाहर बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गईं महिलाओं पर हरियाणा पुलिस ने लाठियां बरसाईं। देश में एक ओर बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर इसके खिलाफ कानून-व्यवस्था व मशीनरी की प्रभावशून्यता दिख रही है। इस समस्या के समाधान के प्रति 'जीरो टोलरेंस' की नीति की बजाए स्थिति 'जीरो पॉलिटकल विल' की है। आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर यानी 1.2 अरब की आबादी वाला अपना देश अपनी ही आधी आबादी के लिए सुरक्षित नहीं है। एक भारतीय महिला के साथ बलात्कार की आशंका बीते दो दशकों में दोगुनी हो गई है। हर 20 मिनट में यहां किसी न किसी के साथ बलात्कार होता है और ऐसी पीड़ितों में से हर तीसरी कोई बच्ची होती है। ये वो मामले हैं, जो पुलिस में दर्ज होते हैं और यह भी एक सच है कि बलात्कार की सभी घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होतीं। कारण सामाजिक लाज व पुलिस का संवदेनहीन रवैया और जाति-धन-राजनीति का गठजोड़ आदि।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2011 में देश में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं (3,406) भाजपा शासित मध्यप्रदेश में हुईं। दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल (2,363) का है। प्रसंगवश बता दें कि इस सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार की एक घटना पर टिप्पणी की थी कि यह मामला उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश के लिए गढ़ा गया है यानी जाली मामला है। तीसरे नंबर पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश (2,042), चौथे पर राजस्थान (1,800) और पांचवे पर महाराष्ट्र (1,701) है।

बलात्कार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की सूची में शामिल है। इसका एक चिंताजनक पहलू अदालतों में ऐसे मामलों के निपटारों की लंबी प्रक्रिया व दोषियों की सजा दर में गिरावट है। बीते दो दशकों में ऐसे मामलों के लंबित पड़े रहने की दर काफी बढ़ी है। यह 78 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई है। चार मामलों में से एक में ही ट्रायल हो पाता है। जहां तक दोषियों को सजा देने का सवाल है तो 2011 में चार में से सिर्फ एक को जेल हुई यानी तीन बरी हो गए। 1990 में 41 फासद मामलों में अपराध सिद्ध हो सका और दस साल बाद 2000 में 31 प्रतिशत मामलों में। 1.27 लाख आरोपी बलात्कार के मामलों में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत की एक खंडपीठ ने 12 अक्तूबर को कहा कि अदालतों को बलात्कार के अपराधों में साक्ष्यों की जांच करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और लिप्त अभियुक्तों को कमजोर और हल्के आधारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालतें बलात्कार के मामलों की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत की सावधानी बरतने वाली सलाह पर ध्यान देंगी। वहरहाल हरियाणा में पिछले करीब डेढ़ महीने में बलात्कार की 19 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यहां वर्ष 2011 में 732 ऐसी घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में हैं। हरियाणा के हिसार जिले में 9 सितम्बर को एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उस घटना का एमएमएस भी लोगों को दिखाया गया। इसे देख जलालत से आहत बाप ने तो सीधे आत्महत्या कर ली। पीड़ित लड़की और उसकी मां ने शव को सरकारी अस्पताल से तब तक ले जाने के लिए मना कर दिया जब तक पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करती। 6 अक्टूबर को जींद के सच्चाखेड़ा गांव में दुकान से सामान लेकर लौट रही 16 साल की एक दलित किशोरी को 12.30 बजे दो दलित युवक जबरन घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं और घर के बाहर उनका चचेरा भाई जो हरियाणा पुलिस में सिपाही है, चौकीदारी करता है। पीड़ित किशोरी ने हादसे के बाद आत्महत्या कर लिया। इसी तरह केथल जिले के कलायत में एक दलित किशोरी के साथ दो राजपूत लड़कों पर उसे अगवाकर बलात्कार का आरोप है। बलात्कार के बाद आरोपी रात सात बजे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट की सप्लाई ट्रांसफार्मर से बंद कर अंधेरे में पीड़ित किशोरी को उसके घर से थोड़ी दूरी पर फेंक गए।

इन हृदय विदारक घटनाओं से साफ है कि अपराधियों व शह देने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है। कानून-व्यवस्था को कड़ा करने व नेताओं व पुलिस-प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ महिला संगठन प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन उन पर लाठियां बरसाता है। रास्ता क्या है? सामाजिक बलात्कारी मानसिकता को चुनौती देने के साथ-साथ कानून का सख्ती से पालन जब तक नहीं होगा, तब तक कभी कोई पीड़ित लड़की आत्महत्या करती रहेगी तो कभी उसके पिता या माता। कभी ऐसी पीड़ित के बहन-भाइयों को बदनामी के डर से स्कूल प्रशासन स्कूल से भी निकाल बाहर फेंकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दलित पीड़ित (जो अब जिंदा नहीं है) के परिवारजनों से सहानुभूति प्रगट करने 9 अक्टूबर को सच्चाखेड़ा गांव गई थी। हरियाणा सरकार ने बलात्कार के मामलों की ठीक से जांच, उन पर निगरानी और तीव्र गति से मुकदमा चलाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। महिलाओ के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 8146693100 पुलिस कंट्रोल रूम, पंचकूला में स्थापित किया गया है। देर से ही गई ऐसी घोषणाओं की जमीनी हकीकत पर क्या लिखना।

एक जनवरी से शुरू होगी महिला हेल्पलाइन

इंदिरापुरम (एसएनबी)। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस एक जनवरी से महिला हेल्पलाइन नंबर-1090 जारी करेगी। महिला हेल्पलाइन सीधे लखनऊ हेड क्वार्टर से जुड़ी होगी, जिसमें पीड़ित महिला का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। पीड़िता की शिकायत 24 घंटे में दर्ज कर एक सप्ताह बाद जानकारी दी जाएगी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक माह बाद पीड़िता से पूछा जाएगा कि वह पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं।

यह जानकारी एसएसपी प्रशांत कुमार ने मंगलवार को इंदिरापुरम के विंडसर क्लब में महिला सुरक्षा पर आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अक्सर शिकायत होती है कि पुलिस चौकी में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उनके लिए हर मामले में शिकायत करने के लिए थाने जाना सम्भव नहीं होता है। एसएसपी ने कहा कि अब पुलिस चौकी में एक महिला कांस्टेबल तैनात रहेगी, जो पीड़ित महिला की शिकायत करने पर रसीद के रूप में एक पीली पर्ची देगी। महिला कांस्टेबल शिकायत की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराएगी। उसके बाद पीड़ित महिला पुलिस चौकी से रिपोर्ट ले सकेगी।

बैठक में महिलाओं ने अनेक स्थानों पर छेड़छाड़ करने की शिकायत की, जिस पर एसएसपी ने आश्वासन दिया कि छेड़छाड़ करने वाले स्थानों का जिले भर में एक मैप तैयार कराया जाएगा। इसके बाद उन स्थानों पर महिला या पुरुष कांस्टेबल तैनात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। महिलाए अश्लील एसएमएस और ई-मेल पर अश्लील फोटो भेजने वालों की शिकायत भी महिला हेल्पलाइन नंबर-1090 पर कर सकेंगी।

बैठक में महिलाओं ने आपत्ति उठाई कि खाने-पीने की तमाम दुकानों के सामने लोग शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं का बाजार में आना-जाना मुश्किल हो जाता है। एसएसपी का कहना था कि वह इस संबंध में खाने पीने का सामान बेचने वालों को नोटिस जारी करेंगे जिसमें खाने का सामान बाहर सर्व नहीं किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि महिला से छेड़छाड़ करने वाले मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

गृहणियों को बेचारी कहने पर एसएसपी को घेरा

इंदिरापुरम (एसएनबी)। एसएसपी का महिला सुरक्षा पर आयोजित बैठक में गृहणियों को बेचारी कहना महंगा पड़ गया। उन्होंने जैसे ही बातचीत के दौरान गृहणियों को बेचारी कहा, वहां मौजूद महिला जोर-जोर से हंसने लगी, बल्कि उनके इस वक्तव्य पर आपत्ति उठाई। जवाब में एसएसपी को कहना पड़ा कि वह सिर्फ इंदिरापुरम की महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं वह अन्य थाना क्षेत्र की महिलाओं के संबंध में भी बात कर रहे हैं।

महिलाओं का हो शोषण तो डायल करें 1091

● डीजीपी ने पंचकूला में किया शुभारंभ

भास्कर न्यूज | पंचकूला

महिलाओं के साथ दुराचार हो चुका हो या होने की आशंका हो, कोई भी-कभी भी हेल्पलाइन नंबर 1091 डायल कर जानकारी दे सकता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचेगी। हरियाणा के सभी जिलों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। कॉल संबंधित जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में रिसीव होगी। हरियाणा के डीजीपी रजीव सिंह दलाल ने पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में इस सुविधा का सोमवार को शुभारंभ किया। दलाल ने कहा कि हेल्पलाइन पर किसी भी नेटवर्क से 24 घंटे कॉल की जा सकती है। कॉल रिसीव होते ही संबंधित थाने या चौकी में मैसेज फ्लैश हो जाएगा और फोन करने वाली महिला को सहायता दी जाएगी। दलाल ने कहा कि यदि किसी महिला या लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ या दुराचार करने का प्रयास करता है या उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है, तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

दिल्ली की तर्ज पर नंबर

बता दें कि दिल्ली में भी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन का नंबर 1091 ही है। दलाल ने बताया कि 1091 नंबर पर ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला ही अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी दे। बल्कि सड़क पर, आस-पड़ोस में महिला को भय की स्थिति या किसी परेशानी में देखे, कभी भी शिकायत कर सकता है।

आज से शुरू होंगी 23 रूटों पर बसों की नाइट सर्विस

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के वसंत विहार में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म की सबक लेते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (डीटीसी) गुरुवार से दिल्ली के प्रमुख 23 रूटों पर नाइट सर्विस प्रारंभ करने जा रही है। यह बसें रात 11 से सुबह 4 बजे तक चलेंगी। जिससे कामकाजी महिलाओं से लेकर अन्य राज्यों से प्लेन, रेल और बसों से अन्य राज्यों से आने वाली महिला यात्रियों के साथ-साथ पुरुष यात्री भी सही सलामत घर पहुंच सकेंगे। इसके लिए डीटीसी महाराना प्रताप(आईएसबीटी), पुरानी व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पांच से दस मिनट के अंतराल पर विशेष सेवा के साथ दिल्ली एयरपोर्ट और आनंद विहार बस अड्डा से हर दस मिनट के अंतराल पर बसें उपलब्ध रहेंगी।

साथ ही दिल्ली के अन्य रूटों पर 37 से 50 मिनट के अंतराल पर बस चलाने का निर्णय लिया गया। डीटीसी के प्रवक्ता शरत कुमार ने बताया कि नाइट बस सर्विस के तहत 118 मयूर विहार से मोरी गेट, 205 न्यू सीमा पुरी से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, 261 नंद नगरी टर्मिनल से सराय काले खां, 405 बदरपुर बॉर्डर से मोरी गेट, 419 अंबेडकर नगर टर्मिनल से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, 502 महरौली से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, 604 छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट

नंबर (2), 729 कापसहेड़ा बॉर्डर मोरी गेट टर्मिनल, 753 उत्तम नगर टर्मिनल से मोरी गेट, 901 मंगोलपुरी (बीएलके) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (2), 926 टिकरी बॉर्डर से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जीएल-23 आनंद विहार अंतरा॰×52द्ध्ट्रीय बस अड्डा से आईएसबीटी महाराणा प्रताप बस अड्डा, 740 उत्तम नगर टर्मिनल से आनंद विहार आईएसबीटी, 94 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (गेट 1) से सुल्तानपुरी, 920 ओल्ड रेलवे स्टेशन से मुबारकपुर डबास, 12 आईएसबीटी महाराणा प्रताप बस अड्डा से बवाना जे-जे कालोनी, 44 आईएसबीटी महाराणा प्रताप बस अड्डा से ओखला एफ एंकलेव , 72आईएसबीटी महाराणा प्रताप बस अड्डा से नजफगढ़ लगभग दिल्ली की अधिकतर कालोनियों तक यात्रा के लिए उपलब्ध रहेंगी।

रात को डीटीसी की बसों में तैनात होंगे होमगार्ड

वसंत विहार गैंगरेप हादसे के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शाम से रात भर डीटीसी की बसों में होमगार्ड को तैनात करने का घोषणा की है। सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी, मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी, परिवहन आयुक्त राजेन्द्र कुमार और परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि काले शीशों वाली बसों पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस को पत्र लिखने के साथ-ग्रामीण सेवा वाहनों और ऑटो रिक्शा को अनुशासन में लाया जाए। इसके लिए प्रर्वतन शाखा को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि डीटीसी अब रात्रि में 42 की बजाए 85 बसें चलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। इनसे पता चलता है कि ग्रामीण सेवा और ऑटो जरूरत से ज्यादा सवारी उठा रहे हैं, अधिक रकम ले रहे हैं, गति सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और यात्रियों द्वारा बताए स्थान पर जाने से मना करते हैं और रूट का उल्लंघन कर रहे हैं।

पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दी

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों के जल्द निपटारे के लिए राजधानी में पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं, हाईकोर्ट ने वसंत विहार गैंगरेप के मामले की स्वयं निगरानी करने का निर्णय किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम जांच रिपोर्ट उन्हें दिखाने से पहले निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल न किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेशन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पत्र लिखकर पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह किया था। यह अदालतें जल्द काम शुरू कर देंगी लेकिन उन्होंने कहा कि यह अदालतें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक जांच ठीक ढंग से न हो और गवाहों को अदालत में पेश न किया जाए। हम इस इसका स्थायी समाधान करना चाहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेशन व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि जांच जल्द से जल्द पूरी करके एक माह में आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि हम पूरे मामले की निगरानी करेंगे और समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश भी देंगे। खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपपत्र दाखिल करने से पूर्व उन्हें अंतिम रिपोर्ट दिखाई जाए और मंजूरी मिलने के बाद ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

अब महिला हेल्पलाइन नंबर 181

जनसत्ता संवाददाता

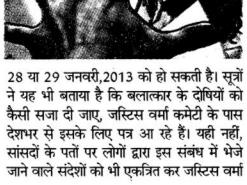

नई दिल्ली, 24 दिसंबर। सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पर देश भर में हो रहे विरोध के बीच दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार को तीन अंकों वाले महिला हेल्प लाइन नंबर '167' को घोषणा के कुछ ही घंटे बाद बदल कर '181' कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने परेशानी में महिलाओं की मदद करने के लिए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल से तीन अंकों वाले फोन नंबर आवंटित करने की मांग की थी।

दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अनेक वर्ग की ओर से एक ऐसे नंबर की मांग की गई थी जो याद रखे जाने में आसान हो। इसे देखते हुए महिला हेल्प लाइन नंबर को बदल कर '181' कर दिया गया है। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने कहा था कि उनके पास तीन अंकों वाले नंबर के संबंध में संसाधन सीमित हैं लेकिन इस मांग के दो घंटे के भीतर हेल्प लाइन नंबर आवंटन किया गया।

पिछले दो साल में यह पहला मौका है जब तीन अंकों का नंबर जारी किया गया है।

सख्त कानून पर विचार को कांग्रेस ने बनाई कमेटी

बलात्कार के खिलाफ सजा के मामले में 15 सदस्यों की कमेटी देगी राय, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी सरकार

अमित मिश्रा | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बलात्कार के दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बलात्कार के दोषियों के लिए सख्त सजा दिए जाने के प्रावधान को लेकर गठित जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 27 जनवरी,2013 तक सरकार के पास आ जाएगी। सख्त कानून बनाने के मुद्दे पर सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति गठित की है।

सूत्रों ने 'भास्कर' को बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट और इस मामले में दोषियों को क्या सजा दी जाए, इसकी अनुशंसा पर अध्ययन के तुरंत बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। यह बैठक 28 या 29 जनवरी,2013 को हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि बलात्कार के दोषियों को कैसी सजा दी जाए, जस्टिस वर्मा कमेटी के पास देशभर से इसके लिए पत्र आ रहे हैं। यही नहीं, सांसदों के पतों पर लोगों द्वारा इस संबंध में भेजे जाने वाले संदेशों को भी एकत्रित कर जस्टिस वर्मा को भेजा जा रहा है। कांग्रेस ने भी पार्टी की तरफ से राय रखने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें वित्तमंत्री पी.चिदंबरम के अलावा कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, एके एंटनी, जयंती नटराजन, अश्विनी कुमार, अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी, कृष्णा तीरथ के अलावा कई और बड़े नेता शामिल हैं।

इसके साथ ही यूपीए के विभिन्न घटक दलों की ओर से भी अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जो अपने सुझाव और सिफारिशें वर्मा कमेटी को देंगी। कांग्रेस की ओर से दिए जाने वाले सुझावों को एकत्रित कर महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ को दिया जाएगा। वे फिर इसे प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगी, जिस पर कोर ग्रुप में विचार-विमर्श किया जाएगा। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर सर्वदलीय बैठक के पहले यूपीए के घटक दलों से भी सलाह-मशविरा होगा। इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने के बाद दूसरे दलों से राय ली जाएगी। सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों से इस बारे में अपनी राय देने के लिए अपील भी की है। इस समिति से जुड़े कांग्रेस के कई नेता, जो वकालत के पेशे से भी जुड़े हैं, इसकी बारीकियों पर अध्ययन करेंगे ताकि पार्टी और सरकार की तरफ से लिए गए फैसले पर कोई आलोचना न हो और उनकी राय, संयुक्त राय के रूप में सामने आए। पार्टी चाहती है कि बलात्कार के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कानून लाए।उसके अलावा सरकार महिला यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़) पर भी रोक लगाने के लिए सख्त कानून की हिमायती है। ये समिति इन दोनों मामलों पर अपनी राय पार्टी की ओर से जस्टिस वर्मा कमेटी को देगी।

योजना पर डीटीसी और दिल्ली पुलिस की केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक जल्द

सावधान ! बस में की छेड़छाड़ तो पकड़े जाओगे

सीमा शर्मा

- डीटीसी की बसों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी
- महिलाओं से छेड़छाड़ पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली। डीटीसी की बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचले अब पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने और अराजक तत्वों से निपटने के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए डीटीसी प्रबंधन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्रारूप तैयार कर रहा है।

दरअसल, महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिला पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में दिल्ली सरकार अब अराजक तत्वों पर नकेल कसने की

तैयारियों में जुट गई है। परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने डीटीसी प्रबंधन को पत्र लिखकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डीटीसी प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चर्चा हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा लिए बसों में सीसीटीवी और महिला पुलिस की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और डीटीसी प्रबंधन की बैठक जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से होने वाली है, जिसमें पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी।

रमाकांत गोस्वामी, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार

गृह मंत्रालय के साथ बैठक जल्द

सूत्रों के अनुसार, जल्द ही डीटीसी प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक की तैयारी चल रही है। इसमें बड़ा मुद्दा होगा कि सीसीटीवी से निगरानी डीटीसी या दिल्ली पुलिस में से कौन करेगा? इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा होगी कि राजधानी की सड़कों में दौड़ने वाली पांच हजार से अधिक बसों में महिला पुलिस की तैनाती कैसे होगी? इतनी महिला पुलिस कहा से आएगी? इसके साथ ही डीटीसी की पुरानी लो-फ्लोर बसों में सीसीटीवी लगाने से लेकर नई बसों में कंपनी से ही कैमरा लगा कर भेजने की मांग रखी जाएगी।

एक हफ्ते चला था ट्रायल

डीटीसी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पहले मिलेनियम डिपो की लगभग दस से ज्यादा बसों में सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग ट्रायल लिया था। ये कैमरे दोनों दरवाजों के ऊपर लगाए गए थे, जिसमें बस की पूरी निगरानी हुई थी। सूत्रों के अनुसार एक हफ्ते चले ट्रायल की रिकॉर्डिंग पुलिस ने इकट्ठा की और उसकी रिपोर्ट बनाई थी। ट्रायल रिपोर्ट ओके हुई थी कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते है तो छेड़छाड़ के साथ अराजक तत्वों पर लगाम लग सकती है।

...और इस आक्रोश को समझिए

संवाद

रणविजय सिंह

दिल्लीवासी गहरे सदमे में हैं। एक मेडिकल छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। तरुणायी आक्रोशित है। इन छात्र-छात्राओं का गुस्सा जिस तरह सड़कों पर फूटा, वह उनकी बेचैनी को उजागर कर रहा था। पुलिसिया दमन भी उनके आक्रोश के इस ज्वार को रोक नहीं सका। पुलिस का खौफनाक चेहरा जरूर दिखा, किंतु पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार को कड़ाके की ठंड में विरोध जता रहे इन युवाओं पर जिस तरह पुलिस का कहर टूटा, उससे मानवता भी कराह उठी। देश ही नहीं, दुनिया ने भी इस पुलिसिया वहशीपन को देखा। स्त्री-सुरक्षा और बलात्कारियों को फांसी की सजा की मांग करने वाले इन युवाओं को भरोसा देने, उनके टूटते मन पर मरहम लगाने, भय और निराशा को कमतर करने की जगह उनकी आवाज दबाने का कुत्सित प्रयास हुआ, जिसने युवा मन को तार-तार कर दिया। क्या लोकतांत्रिक देश में अपने जायज हक की मांग करना गुनाह है? क्या व्यवस्था के खिलाफ उपजे स्वतःस्फूर्त गुस्से को दमन के जरिए दबाया जा सकता है? क्या सरकार और प्रशासन को हमारी तरुणायी से इस लोमहर्षक घटना पर ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी? क्या असल समस्या का हल खोजने की जगह इस आंदोलन को तोड़ने तथा गलत दिशा में भटकाने की कुचेष्टा नहीं हो रही है? आखिर राजनीति क्यों और किसलिए? अनायास ये सवाल हमारी जंग लगी व्यवस्था पर खड़े होते हैं। इन प्रश्नों के क्रम में अब यह अहम सवाल भी जुड़ गया है कि क्या सामूहिक दुष्कर्म की शिकार लड़की को बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजने में अनावश्यक देरी नहीं की गई?

सच यह है कि केंद्र सरकार को युवाओं से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए शुरुआती दिनों में न सरकार ने और न ही पुलिस ने इसे उतनी गंभीरता से लिया, जितनी तेजी बाद के दिनों में दिखाई गई। विपक्ष भी सरकार को कोसने और घटना पर घड़ियाली आंसू बहाने तक अपने को सीमित कर फर्ज पूरा करता दिखा। किसी को युवाओं के मन में असम्मान, असुरक्षा को लेकर उमड़-घुमड़ रहे आक्रोश का अंदाजा नहीं था। युवा इतनी संवेदनशील प्रतिक्रिया देंगे, शासन-प्रशासन को उम्मीद नहीं थी। उसे नहीं लगता था कि जींस, स्कर्ट पहनने वाले, पिज्जा-बर्गर खाने वाले और लैपटाप चलाने वाले छात्र-छात्राएं सड़क पर भी उतर सकते हैं और गांधीवादी शैली में विरोध प्रकट करते हुए कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार, लाठीचार्ज और आंसू गैस के तीखे धुएं को बगैर धैर्य खोए सह सकते हैं। यह सोच गलत साबित हुई। इस सरकारी दमन के खिलाफ जब चौतरफा प्रतिक्रिया हुई; तब कहीं जाकर सरकार की निद्रा टूटी और वह हरकत में आई। सरकार को समझना चाहिए कि भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। उसे अपने अधिकार और कर्त्तव्य का बोध है और उसे अपना हक लेना आता है। कब और कहां प्रतिक्रिया करनी है, उन्हें इसका बखूबी पता है। आश्वासनों में उनका यकीन नहीं है। वह उसे हकीकत में उतरते देखना चाहते हैं। वह समस्या का फौरी नहीं; बल्कि कारगर हल चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री की अपील का उन पर असर नहीं हुआ। यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी की सक्रियता भी उनके घावों पर मरहम न लगा सकी। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की भूमिका उनकी नजर में खलनायक की बन गई है। यद्यपि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित युवा आक्रोश से बचने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं, किंतु वह उनका कोपभाजन बनने से खुद को बचा नहीं पा रही हैं।

- युवाओं का यह गुस्सा और सड़कों पर उतरना यूं ही नहीं है। उनका भरोसा नेताओं और व्यवस्था दोनों से उठ रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों का भड़का गुस्सा इसी का प्रस्फुटन है। ऐसे में भरोसा जीतने की कोशिश होनी चाहिए
- बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कानून में बदलाव की बात हो रही है, यह तत्काल होना चाहिए। क्योंकि नाराज युवा आश्वासन नहीं क्रियान्वयन चाहता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच बदले जाने की भी जरूरत है। इसकी शुरुआत घरों से होनी चाहिए

यह दूसरा अवसर है जब देश के युवाओं का गुस्सा यूपीए सरकार पर फूटा है। इससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ देश का युवा खड़ा हुआ था। आज वही बलात्कार के खिलाफ कड़ा कानून और लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा चाहता है। उस समय भी कांग्रेस और उनके नेतृत्व वाली सरकार उनका मनोभाव समझने में चूक गई थी। आज भी उससे वैसी ही चूक हुई है। अपनी राजनीतिक कलाबाजी से वह औंधे मुंह गिर गई है। राहुल गांधी युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होने की लंबे समय से कोशिश जरूर कर रहे हैं, किंतु जब सड़कों पर ये छात्र-छात्राएं पिट रहे थे, तब उन्होंने कोई पहल नहीं की। न पुलिस के वहशीपन को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और न ही सरकार को युवाओं का भरोसा जीतने के लिए मजबूर करते दिखे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हुए षड्यंत्र को रोकने में भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि उनकी पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए उन पर बड़ा दांव लगाए बैठी है। यह है सरकार का चेहरा।

विपक्ष का चेहरा भी कुछ ऐसा ही है। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज भी महिला हैं। युवक-युवतियों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, किंतु उन्होंने भी अपने को बयानों और ज्ञापनों तक ही सीमित रखा। युवा सवाल पूछ रहे हैं कि जब पुलिस उनका दमन कर रही थी तो उनका खून क्यों नहीं खौला? उन्हें किसका भय सता रहा था? उनमें उन्हें अपने बीच न पाने की पीड़ा और निराशा दोनों है। युवाओं की इस नाराजगी का खमियाजा यूपीए सरकार के साथ ही भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। भले उसे इसका एहसास अभी न हो।

सरकार और नौकरशाही का संवेदनशील चेहरा कम दुखदायी नहीं है? यह व्यवस्था में बढ़ते अविश्वास को और गहरा कर रहा है। तंत्र द्वारा पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई को उचित साबित करने का खेल हो रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक सिद्ध करने की जोड़-तोड़ हो रही है। पुलिस आयुक्त खुलेआम पुलिसिया कार्रवाई को उचित बता रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था, इसीलिए सिपाही सुभाष तोमर की दुःखद मौत हुई, जबकि आरएमएल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट इसे हृदयगति रुकने से हुई मौत मान रहे हैं और चश्मदीदों का भी यही मानना है। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हड्डी टूटने व चोट लगने से मौत की बात भी कही गई है, किंतु इस दुःखद घटना के बाद जो कुछ हुआ, शर्मनाक है। गुनाह छुपाने के लिए लाश पर राजनीति हुई। सीपी अपने ही बयानों में फंस गए हैं। उनकी स्वयं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उनको हटाने की मांग हो रही है। किंतु सरकार और नौकरशाही का एक बड़ा तबका उन्हें बचाने में लगा है। केंद्र सरकार पुलिस कमिश्नर को हटाकर आहत और नाराज दिल्लीवासियों के गुस्से को कम कर सकती है। किंतु ऐसा न कर वह बड़ी नादानी कर रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच खुली जंग हो रही है, जबकि 2013 का चुनाव सामने है।

युवाओं का यह गुस्सा और सड़कों पर उतरना यूं ही नहीं है। उनका भरोसा नेताओं और व्यवस्था दोनों से उठ रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों का भड़का गुस्सा इसी का प्रस्फुटन है। ऐसे में भरोसा जीतने की कोशिश होनी चाहिए। अहम सवाल यह है कि पीड़ित महिलाएं पुलिस थाने जाने से क्यों कतराती हैं? उन्हें क्यों लगता है कि पुलिस से उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है, उल्टे नई मुसीबत खड़ी होगी। दिल्ली की सड़कों पर चलने में उन्हें डर क्यों लगता है? बलात्कारियों को सजा दिलाने में हमारे कानून नाकाफी क्यों हैं? ऐसे में बहस इस बात की होनी चाहिए कि पुलिस का खूंखार चेहरा कैसा बदला जाए, ताकि पुलिस को लोग रक्षक समझें, भक्षक नहीं। साथ ही महिला अत्याचार रोकने के लिए कानून और कड़े किए जाने की आवश्यकता है। इतने हंगामे के बाद सरकार अब क्यों चेती है? बलात्कारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कानून में बदलाव की बात हो रही है, यह तत्काल होना चाहिए। क्योंकि नाराज युवा आश्वासन नहीं, क्रियान्वयन चाहता है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच बदले जाने की भी जरूरत है। इसकी शुरुआत घरों से होनी चाहिए। विद्रूप होते सामाजिक मूल्यों को रोकने के लिए हर अभिभावक को आगे आना होगा। इस सार्थक पहल से ही इस जटिल किंतु ज्वलंत समस्या का हल संभव है। मेरा सरकार को सुझाव है कि नौकरशाही इस आंदोलन को लेकर तरह-तरह के पाठ पढ़ा रही है। इसे कप में आए तूफान की संज्ञा दी जा रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अस्सी के दशक के पूर्वार्द्ध में गुजरात से शुरू छात्रों के एक छोटे से आंदोलन ने पूरे देश को अपने आगोश में ले देश के राजनीतिक मौसम को बदल दिया था। इसलिए कांग्रेस को अपने पिछले इतिहास से सबक लेना चाहिए। यदि उसने इस नाजुक सवाल को हल करने में असावधानी दिखाई, तो आंदोलन को बेलगाम होने से रोका नहीं जा सकेगा।

नारे लगाएं पर खुद से भी पूछें ये सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के गैंगरेप के विरोध में एक तरफ जहां देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं वहीं सुविख्यात गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि गैंगरेप की ऐसी घटनाएं बार बार इसलिए घटती हैं क्योंकि हमारे समाज में ही महिलाओं की इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा की शिकार है। अनजान लोग आकर महिला के साथ हिंसा और बलात्कार करें, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही लेकिन यह और भी बड़ी त्रासदी है कि मुल्क में हिंसा और बलात्कार की ज्यादातर घटनाएं अपने जाने पहचाने लोग और रिश्तेदारों की वजह से होती हैं।

एक टीवी चैनल पर जावेद ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के गुस्से की इज्जत करते हैं पर उन्हें अपने आप से निम्नलिखित सवाल करने चाहिएः

- **क्या हम अपनी पत्नी, अपनी बहन और बेटी को बराबरी का हक देते हैं?**
- **क्या हमने गर्भ में बच्ची को नहीं मारने का संकल्प लिया है?**
- **क्या अपने घर में हम पत्नी पर और बहू-बेटियों पर घरेलू हिंसा तो नहीं करते?**
- **क्या हम अपनी बहनों, मां या बेटी को जमीन जायदाद में बराबर का हिस्सा देने को राजी हैं?**
- **क्या हम बेटी और बेटे को एक जैसी सुविधाएं और दर्जा देते हैं?**

जावेद अख्तर के मुताबिक अगर समस्या को गहराई से खत्म करना है तो हमें अपने से शुरुआत करनी होगी और अपना माइंडसेट बदलकर समाज का माइंडसेट बदलना होगा। उन्होंने कहा कि राजनेताओं और पुलिस को गालियां देने से भी अहम यह है कि हम समाज की महिला विरोधी सोच को बदलने की दिशा में आगे बढ़े।

दिल्ली गैंगरेप यह प्रकरण बताता है कि जनता के गुस्से को बाहर निकलने के लिए हर बार किसी समाजसेवी या आंदोलन की जरूरत नहीं है।

जनाक्रोश, कार्रवाई और समाधान

अभिज्ञान प्रकाश
टीवी एंकर एवं वरिष्ठ पत्रकार
p.abhigyan@gmail.com

आक्रोशित लोग आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सजा कितने समय के भीतर हो। तभी उचित समाधान मिलेगा।

यह बात हमारे सत्ताधीशों या सियासी हलकों में बैठे लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जनता के गुस्से या आक्रोश को बाहर निकलने के लिए हर बार किसी समाजसेवी, राजनेता या आंदोलन की जरूरत नहीं है। यह गुस्सा दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ खुद-ब-खुद निकलकर बाहर आ सकता है। यदि सरकारें अब भी नहीं जागीं तो ऐसा आगे भी हो सकता है।

प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, सोनिया गांधी भी विरोध करने वालों से मिल चुकी हैं। सभी शांति की अपील कर रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन अब उन्हें कुछ मसलों पर ठोस कार्रवाई करके दिखाना होगा। मैंने अपने 'न्यूज प्वाइंट' और 'मुकाबला' जैसे टीवी शो के जरिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तस्वीर सामने रखते हुए बताया कि यह बात एक नारे की तरह सामने आ रही है कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाने चाहिए। अब जरा हकीकत पर गौर फरमाएं। हमारे देश में 1562 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, जिन्हें चलाने के लिए केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद 2011 में बंद हो गई। अब इन्हें चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अभी तक इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके हिसाब से दुष्कर्म जैसे घिनौने आपराधिक मामले स्वतः फास्ट ट्रैक अदालत में चले जाएं। कोई भी मामला वहां के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है और इसमें राज्य सरकार के सुझाव की अहम भूमिका होती है। राजस्थान के अलवर फास्ट ट्रैक कोर्ट का उदाहरण दिया जा रहा है कि कितनी जल्दी वहां पर फैसला आ गया और सजा सुना दी गई। लेकिन ऐसे भी तमाम उदाहरण हैं, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी फैसले आने में सालों का समय लग गया। यानी एक बार फिर यह बहस इस बात पर आकर रुकती है कि हमारे आपराधिक न्याय तंत्र में बेहतरी के लिए किस तरह के बदलाव की जरूरत है। देश देखना चाहता है कि चिंता जाहिर करने वाला राजनीतिक वर्ग इसे कितनी गंभीरता से लेता है।

अब पुलिस की बात करते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा पुलिस और पुलिसिंग पर है। यह गुस्सा पूरी तरह जायज है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि पुलिस अभी भी इस तरह के मामलों में पर्याप्त संवेदनशील नहीं है। अभी भी आम लोगों के लिए किसी थाने में एफआईआर लिखवाना आसान नहीं है। तमाम विशेषज्ञ पुलिस में सुधारों की जरूरत पर बल देते हैं। लेकिन ये सुधार करेगा कौन? ये भी तो उन्हें ही करने हैं, जो इस वक्त महज चिंता जता रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी उनसे पूछना चाहती है कि वे इस मसले पर आगे क्या करेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने कई मामलों में बहुत अच्छे और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर पुलिस में सुधारों को लेकर दिया गया फैसला है। उस फैसले में यहां तक कहा गया कि नियुक्तियां कब और कैसे की जाएं तथा जवाबदेही किसकी हो। यह देश के सुप्रीम कोर्ट की राय है। इस राय पर आज तक किसी ने क्यों नहीं बात की? भाजपा नेता सुषमा स्वराज संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही हैं, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन पुलिस सुधारों को लेकर संसद में एक बड़ी बहस हो और कोई निर्णय सामने आए, इस पर एक एजेंडा क्यों तैयार नहीं हो पा रहा है?

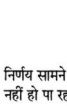

सरकार और विपक्ष, दोनों ही पुलिस में सुधार के मुद्दे पर जोर-शोर से क्यों नहीं बोलते? मैं सर्वोच्च अदालत की एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। दुष्कर्म जैसे संगीन मामले पर तो बहस चल ही रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी कहा है कि इसे रोका नहीं गया तो यह समाज के लिए नासूर बन सकता है। इसके लिए लोकल पुलिसिंग पर जोर दिया गया है। जहां-जहां जरूरत हो, वहां-वहां पर सादे कपड़ों में ही सही, पुलिस की बेहतर तैनाती हो। आम आदमी के मन में एक बड़ी धारणा, जो मौजूदा आक्रोश में भी निकलकर आ रही है, यह है कि पुलिस सिर्फ बड़े या वीआईपी लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। इस धारणा को बदलने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? अगर जरूरत हो तो इस बात पर बहस हो कि क्या दो तरह के पुलिसबल की जरूरत है- एक आम आदमी के लिए और एक वीआईपी लोगों के लिए। इसके अलावा वीआईपी सिक्युरिटी कितनों के लिए कितनी जरूरी है, उसका सही आकलन हो, जो देश के सामने रखा जाए। समाज में दिखावे के लिए वर्दी की घेराबंदी के इस सिलसिले को तोड़ना होगा। यह लोगों की हिफाजत करने के लिए बनी पुलिस, वीआईपी के लिए समाज में अपना जलवा दिखाने के लिए नहीं है। अपनी आमदनी का एक तिहाई हिस्सा कर के रूप में सरकार को देने वाला आम आदमी यह जानना चाहता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे सही जगह पर नहीं लगे हैं और अगर लगे भी हैं तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उसका क्या दोष। मिसाल के तौर पर दिल्ली की ही घटना में एक सीसीटीवी कैमरे में मिले फुटेज की मदद से उस बस को ढूंढ़ा जा सका, जिसमें ये घिनौना अपराध हुआ था। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा।

बहरहाल, ऐसे अपराधियों को क्या सजा हो, इस पर बहस शुरू हो गई है। लोगों का गुस्सा कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता है। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि सजा कितने समय के भीतर हो। तभी उचित समाधान मिलेगा। हम जानते हैं कि कोई केस लंबा खिंचने की वजह से किस तरह गवाह बदल जाते हैं, जिससे केस कमजोर हो जाता है और आखिरकार अपराधी बच निकलते हैं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है, जो जनता पूछ रही है। मेरे हिसाब से यह मौका है हमारे सियासतदान या सत्ता में बैठे लोगों के लिए कि वो इस गुस्से को समझें और ऐसे बदलाव लाएं, जिन्हें जनता प्रत्यक्ष देख सके। तभी लोगों के मन में विभिन्न मुद्दों पर उनके खिलाफ बनी धारणा बदल पाएगी।

इस जनाक्रोश को अंजाम का इंतजार

विश्लेषण

किरण बेदी

दिल्ली की सड़क पर हैवानियत की घटी घटना मानवता के मुंह पर तमाचा है, या इससे भी कहीं आगे... ! युद्ध क्षेत्र में भी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वैसी दिल दहला देने वाली घटना देश की राजधानी में घटी। वाकई इस घटना से उठे सवाल हम जैसे लोगों, पुलिस प्रशासन, सरकार व आमजन से जवाब मांग रहे हैं। हमारे जो जज्बात उभरे हैं, वे हमें झकझोर भी रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सड़कों पर जनाक्रोश की ज्वाला फूट पड़ी है। रायसीना हिल्स से राजघाट, कोलकाता से कोयंबटूर और श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े जनसैलाब का कोई अगुवा नहीं होता है, बावजूद इसके पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें उनके कदम रोक नहीं पाती हैं। बार-बार सरकार को प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ती है, आश्वासन देना पड़ता है, ठोस इरादे जताने पड़ते हैं, लेकिन पोस्टर-बैनर तो यही कह रहे हैं कि अब नहीं, तो कभी नहीं... ! हां, यही वह वक्त है, जब इस आवाज को हम शहर से लेकर गांव तक पहुंचा सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अब किसी तरह की ज्यादती सहन नहीं होगी। यह परिवर्तन का समय है, क्योंकि देश का युवा सचेत है।

वाकई, मैंने पहली बार इतनी बड़ी तादाद में असंगठित भीड़ को सड़कों पर आक्रोशित देखा है। हर ओर से हुजूम उमड़ रहा है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साई भीड़ पीड़िता के लिए दुआ भी मांग रही है और पुलिस को उसकी नाकामी के कारण भी गिना रही है। सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? कल तक हममें से ही कुछ लोग कहा करते थे कि देखो, हमारा युवा तो उदासीन है। वह उपभोक्तावादी हो गया है। उसे न तो भ्रष्टाचार से कोई मतलब है और न ही व्यवस्था से। लेकिन यह स्थिति अब बदल चुकी है। अन्ना आंदोलन ने युवाओं को उनकी शक्ति से पहचान कराई है।

इसलिए इस भीड़ में सादगी है, उत्साह है, ईमानदारी है। हौसला और ऊर्जा है। और सबसे अहम तो यह है कि सरकार से लेनदेन

- जनता के गुस्से ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वह पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए और बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए
- कानून में मृत्युदंड का प्रावधान तो है ही, अगर इसके दायरे में बलात्कार को भी शामिल कर लिया जाए, तो बेहतर होगा। इन मसलों को पहले न्यायिक आयोग के सामने रखकर, फिर संसद से पारित कराया जा सकता है। अध्यादेश के जरिये भी यह काम हो सकता है

की उसकी कोई इच्छा नहीं है। भारत अब देशभक्त युवाओं का देश बन गया है, वह महज पीड़ित युवाओं का देश नहीं रह गया है। दिल्ली सामूहिक बलात्कार ने उसकी आवाज को फिर से ताकत दी है, एकता दी है। उम्मीद है कि यह एकता दहेज से लेकर गलत प्रशासनिक कामकाज के खिलाफ भी उठती रहेगी। बहरहाल, 'आपकी कचहरी' में मैं अकसर यह सवाल उठाती थी कि 'आखिर गलती किसकी?' इसका जवाब है, सबका कसूर है। पुलिस-प्रशासन से लेकर न्याय-व्यवस्था तक की इसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है।

देश के मर्दों को एक पुरुष सत्तात्मक समाज मिला। जाहिर है, ऐसे समाज में मर्दों को ज्यादा हक हासिल होता है। वे चाहते, तो इसका सदुपयोग कर सकते थे। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। पर महिला आबादी को हाशिए पर रखकर वह काम करते रहे। नतीजतन, महिलाएं उपेक्षित हुईं, पीड़ित हुईं- समाज में गैरबराबरी से लेकर घरेलू हिंसा, यौन शोषण और बलात्कार तक। पुरुषों द्वारा यह अत्याचार विस्फोटक स्थिति तक जा पहुंचा है। ऐसे में, समाज में बड़े सुधार की दरकार है। इसके दो रास्ते हैं- सामाजिक सुधार व पुलिसिंग। एक बच्चा अपने आस-पड़ोस के माहौल से सीखता है। उसकी पहली पाठशाला उसका घर ही होता है। जैसे-जैसे उसके देखने-समझने का दायरा विकसित होता जाता है, वह समाज से सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, भाषा आदि का आदान-प्रदान करने लगता है। इसके बाद हमने अपने लिए कई सामाजिक संस्थाएं बनाई हैं। मसलन, हम मंदिर-मस्जिद में प्रार्थना-दुआ के लिए जाते हैं। वहां सिर्फ पूजा नहीं होती है, बल्कि इंसानियत की शिक्षा दी जाती है, नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल, हम यह सब जो सीखते हैं, उन्हें सामाजिक जीवन में अमल में लाने की भी जरूरत है।

अब हो यह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्थाएं दरकनी शुरू हो गई हैं। हम आस-पड़ोस, रिश्ते-नातेदारों से कटते जा रहे हैं। मंदिर हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, न कि मन की शांति के लिए। इन सब वजहों से एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खोता जा रहा है। ऊपर से संसाधनों की कमी के चलते सामानों की छीना-झपटी और आपसी प्रतिस्पर्द्धाओं की होड़ बढ़ी है। इसने हिंसक वातावरण को जन्म दिया है। मूल्यों के इस ह्रास का असर पुरुष व औरत के रिश्तों पर भी पड़ा है। इसलिए अच्छा होगा कि हम अपनी सामाजिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों को फिर से सहेजें।

देश को पुलिस सुधार कानून की भी जरूरत है। मौजूदा परिस्थिति में तो यह और भी प्रासंगिक हो गया है। आखिर महानगरीय समाज इतना असुरक्षित कैसे हो गया है? हमारी बहू-बेटियां घर से बाहर महफूज क्यों नहीं हैं? यह अलग चर्चा का विषय है कि वह घर में कितनी महफूज है? मैं जब पुलिस-प्रशासन में थी, तब की बात बताती हूं। उस वक्त न केवल पुलिस-प्रशासन चुस्त-दुरुस्त थी, बल्कि नागरिकों को भी सामाजिक सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी। सोशल डिफेंस आर्गेनाइजेशन, स्कॉट्स टीम, छात्र ट्रैफिक कंट्रोल टीम जैसी जन-भागीदारी की योजनाएं हम लोग दिल्ली में चलाते थे। इसके अलावा, रात के वक्त पुलिस की गश्ती काफी तेज होती थी। रात्रि-बसों में पुलिस चेकिंग की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे-धीरे ये चीजें बंद कर दी गईं। यह ठीक है कि इस बीच महिला पुलिसकर्मियों की तादाद पुलिस सेवा में बढ़ाई गई है, लेकिन उन्हें दक्ष नहीं बनाया गया है। यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि पुलिस व्यवस्था में अपारदर्शिता आ गई है। यह शहर से लेकर गांव तक का सच है। एक तरह से पुलिस व्यवस्था जवाबदेही से मुक्त हो गई है। इसलिए समाज में आपराधिक मामले बढ़े हैं, वरना पुलिस चाह ले, तो जुर्म हो ही नहीं सकता। उधर, सरकार ने अपनी ऑडिटिंग भी बंद कर दी है।

बेशक इस दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस प्रशासन के कामकाज पर सर्वे किए, लेकिन उनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाकर मामले को दबाया जाता रहा है। इन सबका एक असर तो यह भी हुआ कि रसूखदार तबकों की गुंडागर्दी बढ़ती गई और पीड़ित समाज, जिसमें महिलाएं आती हैं, पुलिस के पास अपनी गुहार तक लगाने से हिचकने लगा। क्योंकि पुलिस-व्यवस्था ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है।

बहरहाल, ताजा मामले में सरकार को यह जरूर मजबूर किया है कि वह पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए और बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का प्रावधान करे। हमारे कानून में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान तो है ही, अगर इसके दायरे में बलात्कार जैसी घटना को भी शामिल कर लिया जाए, तो बेहतर होगा। जैसे बाकी जघन्य से जघन्य अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है, उसी तरह इस मामले में भी कानूनी संशोधन कर इसे समाहित किया जा सकता है।

बेशक, बाकी सब कुछ तो न्यायपालिका और सबूत पर निर्भर करता है। अपराध की कई श्रेणियों में आजीवन कारावास की सजा दी जाती रही है, बलात्कार के मामले में भी यह है, परंतु इसे कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन इन बदलावों के लिए ठोस इच्छा-शक्ति चाहिए। एक पॉलिटिकल विल जरूरी है। इन मसलों को न्यायिक आयोग के सामने रखकर, फिर इसे संसद से पारित कराया जा सकता है। अध्यादेश के जरिये भी इसे पारित कराना मुमकिन है। उम्मीद है कि इस बार जनाक्रोश छला नहीं जाएगा, उसे ठोस अंजाम चाहिए।

(लेखिका पूर्व पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं)

जब तंत्र ही नाकाम हो जाए

परिदृश्य

मधु पूर्णिमा किश्वर
सामाजिक कार्यकर्ता और प्राध्यापक
edit@amarujala.com

यदि हम ईमानदारी से अपराध कम करना चाहते हैं, तो पुलिस व न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की जरूरत है। कोई भी दल इसके लिए तैयार नहीं दिखता, क्योंकि वे भी गुंडों को पालने का काम कर रहे हैं। इस देश के नागरिकों के लिए यही चुनौती है- पुलिस, प्रशासन व राजनेताओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए।

मीडिया को महिलाओं की याद तभी आती है, जब उसके खिलाफ कोई जघन्य अपराध होता है। जैसा कि दिल्ली में चलती बस में हुई गैंगरेप की घटना के बाद दिख रहा है। वरना मीडिया को महिलाओं की ग्लैमर डॉल व फिल्म स्टार छवि ही ज्यादा पसंद है। मीडिया, खासकर टीवी चैनल वाले अक्सर एक से दूसरे अपराध के बीच ही झूलते रहते हैं। ऐसी खबरों पर अक्सर मीडिया वाले झूम उठते हैं और उसे दिन भर घिसे-पिटे भावनात्मक फिल्मी जुमलों के जरिये चलाते हैं, जिससे घटना की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। परंतु जब समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटे, तो ये इंफोटेनमेंट (मनोरंजन प्रधान सूचना) नहीं रह जातीं। एक-आध दिन में उस सनसनीखेज अपराध की चर्चा से दिल ऊब जाता है और महिला मुद्दे ठंडे बस्ते में पहुंच जाते हैं, जहां से निकालने के लिए हमें एक नए सनसनीखेज अपराध का इंतजार करना पड़ता है। और जब महिलाओं की याद आती है, तो बहस थोथली हाय-तौबा के अंदाज तक ही सीमित रहती है कि सरकार व पुलिस निकम्मी है, बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं देती, उन्हे चौराहे पर खड़ा कर सार्वजनिक मौत के घाट क्यों नहीं उतारती इत्यादि का राग हर बार एक ही सुर में सुनने को मिलता है।

किसी भी समाज में अपराध तभी बढ़ता है, जब कानून-व्यवस्था स्वयं अपराध में लिप्त हो जाए। वस्तुस्थिति यह है कि आज जितना अपराध थानों में होता है, उतना सड़कों पर नहीं। हालत यह है कि महिलाओं की बात तो छोड़िए, कोई शरीफ पुरुष भी थाने जाने से डरता है। यदि किसी के दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है, तो उसे सुरक्षा भावना नहीं मिलती, बल्कि लगता है कि कोई आफत आ गई। पुलिस पर जब तक बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, तब तक वह अपराध दर्ज ही नहीं करती। बड़ी और चर्चित घटनाओं में भी पुलिस ने तभी कार्रवाई की, जब उस पर मीडिया का भारी दबाव बना, चाहे वह प्रियदर्शिनी मट्टू कांड हो, जेसिका लाल हत्याकांड हो या रुचिका का मामला। आम आदमी की तो एफआईआर दर्ज कराने में ही हालत खस्ता हो जाती है। जब तक आपके पास कोई बड़ी सिफारिश न हो, आपके साथ कोई बड़ा वकील न हो या पुलिस को मोटा-चढ़ावा चढ़ाने की औकात न हो, तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। हां, मुंहमांगा चढ़ावा चढ़ा दीजिए, तो जितनी मर्जी झूठी एफआईआर दर्ज हो जाएगी।

पुलिस अगर सही जांच करके सुबूत पेश करे, तो अपराधियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पर सही सुबूत को दबाना और झूठे सुबूत पेश करना पुलिस का रोजमर्रा का काम हो गया है। एक तरफ आम आदमी पुलिस के पास रिपोर्ट तक लिखाने के लिए जाने से डरता है, दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस की लत बन चुकी है, क्योंकि 'असली' कमाई तो अपराधियों के साथ मिलीभगत से ही होती है।

देश में बढ़ते अपराध के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कत्ल, जघन्य गैंगरेप, बड़ी डकैती, बम विस्फोट जैसे बड़े हादसों को छोड़ छोटे अपराध तो पुलिस गिनती में ही नहीं लाना चाहती। यहां मामला सिर्फ पुलिस भ्रष्टाचार का नहीं। इस समस्या की जड़ तो गृह मंत्रालय व पुलिस के उच्चतम नीति-निर्धारकों के आदेशों में है। देश में अपराध दर कम दिखाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन डन थानों को लताड़ता है, जहां अपराध दर ज्यादा दर्ज होता है। जिस एसएचओ के थाने में अपराध दर के आंकड़े गिरते दिखते हैं, उनकी प्रोन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं और जिसके थाने में अधिक अपराध रिकॉर्ड में आ गए, उसका करियर बिगड़ गया। ऐसे में भला कोई भी एसएचओ ईमानदारी से अपराध के केस क्यों दर्ज होने देगा? मेरे निजी अनुभव में कई ऐसे मामले हैं, जहां पुलिस ने पीड़ित पर मनगढंत केस दर्ज कर दिए, ताकि वह दबाव में आकर एफआईआर करने की हिम्मत न करे। इसलिए छोटे अपराधों को (जिनमें छेड़छाड़, चोरी, छोटी-मोटी डकैती भी शामिल है) पुलिस बिल्कुल नजरंदाज कर देती है। इसकी वजह से छोटे गुंडों के हौसले बढ़ जाते हैं और पुलिस सहभागिता की वजह से वे

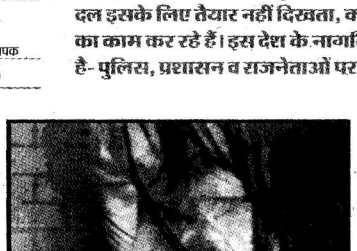

माफिया डॉन बन जाते हैं। दाऊद इब्राहिम की शुरुआत भी छोटे-मोटे अपराधों से हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस और राजनेताओं ने मिलकर उसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय डॉन बनने में सहयोग दिया। आज भी कराची में बैठकर वह महाराष्ट्र पुलिस और राजनेताओं को उंगली पर नचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। ऐसे में मीडिया में उठ रही यह मांग मुझे बहुत दुख पहुंचाती है कि बलात्कार की सजा बढ़ाकर मृत्युदंड कर दी जानी चाहिए।

किसी भी समाज में अपराध तब कम होता है, जब कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों में आस्था हो। सजा कड़ी करने से अपराध कम नहीं होते। यह जगजाहिर है कि जिन देशों में अपराध दर नगण्य है, वहां फांसी की सजा है ही नहीं, और जहां बात-बात पर सूली पर लटका दिया जाता है, वहां अपराध दर कम नहीं हुआ। बस कानून का दुरुपयोग बढ़ गया, जैसा अपने यहां दहेज विरोधी कानून के साथ हो रहा है। फांसी की सजा की मांग, तो फूहड़ मानसिकता की उपज है, क्योंकि जिस देश की पुलिस ईमानदारी से एफआईआर दर्ज करने की तहजीब नहीं रखती, उससे यह उम्मीद करना कि वह इस हथियार का सही इस्तेमाल करेगी, निरी मूर्खता है। यदि आज पुलिस बलात्कार केस को रफा-दफा करवाने के एवज में एक लाख घूस लेती है, तो फांसी की सजा इस अपराध से जुड़ जाने पर यह रेट बढ़ जाएगा।

यदि हम ईमानदारी से अपराध कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देश की पुलिस व न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की जरूरत है। फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं दिखता, क्योंकि कमोबेश हमारी सभी पार्टियां गुंडों को पालने का काम कर रही हैं। इस देश के नागरिकों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है- पुलिस, प्रशासन व राजनेताओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। जिस दिन हमने सरकारी गुंडों पर नकेल डालने का रास्ता खोज लिया, असली अपराधियों को काबू करने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा।

समस्या का हल नहीं है मृत्युदंड

समाज

अलका आर्य
edit@amarujala.com

बलात्कारियों या दुष्कर्मियों से कैसे निपटें, इस सवाल को 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के हादसे ने एक बार फिर प्रासंगिक बना दिया है। देश के कई इलाकों की सड़कों पर बलात्कार के विरोध में इकट्ठा हुए असंख्य प्रदर्शनकारियों से लेकर देश की संसद के भीतर बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग सुनाई दी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मसार है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बलात्कार की इस घटना को अपने कार्यकाल की सबसे दर्दनाक घटना करार देते हुए बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा की वकालत की। 'फांसी दो' का जो यह शोर इन दिनों हमारे कानों में बार-बार सुनाई पड़ रहा है, क्या इससे बलात्कार रुक जाएंगे? ऐसे सवालों पर विमर्श करने का यह नाजुक वक्त है, क्योंकि सरकार पर दुष्कर्म पर अंकुश लगाने के लिए कानून को सख्त बनाने का बहुत दबाव है।

पुलिस, जांच एजेंसियों और न्याय प्रक्रिया को कारगर व संवेदनशील बनाकर ही बलात्कार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

इतिहास गवाह है कि फांसी की सजा किसी भी जुर्म के कम होने का शर्तिया समाधान नहीं है। हत्या के जुर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है, इसके बावजूद 1971 से 2011 की अवधि में हत्या के मामलों में 250 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। यह सही है कि बलात्कार के मामलों में सजा की दर बहुत कम होने के कारण विकृत मानसिकता के लोगों का दुस्साहस बढ़ता है, इसके बावजूद फांसी की सजा व्यावहारिक नहीं है। इसका असर खासकर लड़कियों/महिलाओं पर देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि बलात्कार या यौन अपराध के 80 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में अधिकतर परिवारजन और जानकार ही शामिल होते हैं। ऐसे में पीड़िता पर रिश्तेदार व समाज अपराध के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने के लिए दबाव बनाएंगे और उससे धमकाने की शैली में पूछा जाएगा कि क्या तुम चाहती हो कि उसे फांसी की सजा हो, और फिर उसका परिवार, समाज हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दे? ऐसे में बलात्कार के जो मामले आज सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होते हैं, उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होने लगेगी। एक आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि फांसी की सजा वाले प्रावधान के बाद आरोपी पीड़िता को ही जान से मार सकता है, क्योंकि उसकी कोशिश गवाह को मिटाने की होगी। ऐसे में, हिंसा का एक नया चक्र शुरू हो सकता है। एक अहम दलील यह भी है कि मौत की सजा की मांग करने का मतलब राज्य को किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार देना है, जो मानवाधिकार के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। क्या हमें राज्य को यह अधिकार देना चाहिए? राज्य को अधिक शक्तियां देना, चाहे वह पुलिस का सैन्यकरण हो और उन्हें देखते ही गोली मार देने वाला अधिकार देना हो या मौत की सजा देने संबंधी अधिकार हो, अपराध कम करने का व्यवहार्य समाधान नहीं है। अमेरिका का उदाहरण बताता है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों को अनुपातिक संख्या में मौत की सजा ज्यादा दी गई।

अपने मुल्क में जिन अपराधों में मौत की सजा का कानूनन प्रावधान है, वहां का आकलन भी यही खुलासा करता है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल करते वक्त भेदभाव किया जाता है। मौत की सजा वाले प्रावधान का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि ऐसा होने से बलात्कार के मामलों में सजा की दर में गिरावट आएगी, जबकि यह दर पहले ही कम है। गौरतलब है कि नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, बीते चार दशकों में बलात्कार के अपराध में सर्वाधिक 873.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, पर 2011 में ऐसे मामलों में सजा की दर महज 26.4 प्रतिशत ही थी। लिहाजा फोकस फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन, तय समय सीमा में मामलों के निपटारे, पुलिस, जांच एजेंसियों, न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील और कारगर बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होना चाहिए। इस समय महिला सुरक्षा संबंधी जो जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, उसमें मौत की सजा वाली मांग अतिरेक का स्वर है। बलात्कार की सजा को सख्त बनाने की आड़ में सनसनी फैलाना उचित मांगों की राह में रुकावट डालना ही है।

क्या अर्थ है इसका?

दिल्ली के दुष्कर्म मामले में पूरा देश आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा है। यदि कानून को और सख्त बनाते हुए यह प्रावधान शामिल हो भी जाए तो क्या हालात सुधर जाएंगे? क्या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे?

सिर्फ कानून बनाने से नहीं सुधरेंगे हालात

मौजूदा कानून में दुष्कर्म के आरोपी को कम से कम सात साल से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। सरकार का प्रस्ताव इसे बढ़ाकर कम से कम दस साल करने का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, 1971 से 2011 तक दुष्कर्म के मामलों में 873 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2010 के मुकाबले 2011 में दुष्कर्म के मामले आठ प्रतिशत बढ़े। ऐसे में लगता नहीं कि सिर्फ कानून सख्त होने से हालात सुधर जाएंगे।

क्यों नहीं कानून का खौफ | 2010 में दुष्कर्म के 20 हजार मामले अदालतों में गए थे। इनमें 14 हजार की सुनवाई पूरी हो सकी। 20 प्रतिशत से कम मामलों में सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर देखें तो दुष्कर्म के 27 प्रतिशत मामलों में ही आरोपी को सजा होती है। कारण कई हैं। मुकदमा लंबा खिंचा तो कई मामलों में पीड़ित, गवाह तक बयान से पलट गए। आरोपी पक्ष को दबाव-प्रभाव का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। ऐसे कई मामले हैं। रुचिका गिरिहोत्रा केस हो या मॉडल जेसिका लाल की हत्या का, आरोपियों ने हैसियत का ही तो फायदा उठाया। फिर पुलिस जांच की निष्पक्षता हमेशा संदेह से घिरी रही है। सख्त कानून की आड़ में किसी निर्दोष को आरोपी बना दिया तो क्या होगा? हालिया मामले में तो जनाक्रोश और मीडिया के दबाव में पुलिस ने सक्रियता दिखाई। क्या सभी मामलों में ऐसा होता है?

तो कैसे सुधरेंगे हालात | कई स्तरों पर पहल करनी होगी। लड़कियों को आत्मसुरक्षा के तरीके सीखने होंगे। पुलिस जांच में वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करानी होगी। इससे पहले पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करते हुए प्रमुख बाजारों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। लेकिन उससे भी जरूरी है सतर्कता। ताकि ऐसी घटना ही न हो सके।

बलात्कारी को फांसी के फंदे में हैं कई पेंच

कुणाल /एसएनबी

नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी बेशक बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हों पर भारत में ऐसा करना आसान नहीं होगा। देश में पहले से ही हत्या के लिए भी फांसी की सजा खत्म किए जाने की मांग हो रही है। इस दिशा में मानवाधिकारवादी और बुद्धिजीवी दोनों सक्रिय हैं, जो आतंकवादियों के लिए भी फांसी के खिलाफ हैं। मुंबई हमले के आरोपी आंतकी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के वक्त भी इन्होंने सरकार से फांसी देने से बचने की गुहार लगाई थी। फांसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र भी जबरदस्त दबाव बना रहा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत भी फांसी की सजा को लेकर ढुलमुल दिखता रहा है।

सरकार अभी कह रही है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में फांसी की सजा दी जा सकती है। बलात्कार के मामले में कानून बदल देने पर भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसे कहा जाएगा इसे परिभाषित करना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि भारत में चार साल की

- सवाल यह है कि किस बलात्कार को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाएगा?
- देश में पहले से ही हत्या के लिए भी फांसी खत्म किए जाने की हो रही है मांग
- मानवाधिकारवादी व बुद्धिजीवी आतंकवादियों की फांसी के भी हैं खिलाफ

बच्ची से भी बलात्कार होता है और तमाम मामलों में पिता तक को बेटी से दुष्कर्म के मामले में पकड़ा जाता है। दिल्ली मे सामूहिक बलात्कार के मामले में न्याय की गुहार लगा रहे प्रदर्शनकारी भी फांसी की सजा को मांग कर रहे है और अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि ऐसी घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए।

जबकि कानूनविदों की भी इस पर एक राय नहीं है। एक वर्ग ऐसा है जो फांसी को ही अमानवीय करार देता है और उसका कहना है कि जब देशद्रोह जैसे अपराध में भी फांसी की मुखालफत हो तब बलात्कार में इसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है। नामचीन बुद्धिजीवी और मानवाधिकारवादी जो फांसी के खिलाफ रहे हैं वह दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लड़के-लड़कियों की इस मांग के समर्थन अब तक नहीं आए हैं कि बलात्कार की सजा फांसी ही होनी चाहिए। भारत में हत्या के मामले में ही फांसी की सजा दी जाती है और अगर फांसी दिए जाने के मामले देखे जाएं तो वर्ष 1995 मे सिर्फ तीन अपराधियों को ही फांसी दी गई है। हत्या के मामले में भी फांसी दिए जाने के लिए 1983 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि फांसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जाए।

महिला संगठन मिलकर मृत्यु की सज़ा का विरोध करते है क्योंकि ...

– हर इंसान को जीवन का अधिकार है जिसे छीनने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता।

– फांसी की सज़ा अक्सर असली मुद्दे से ध्यान हटाकर राज्य के हाथ में सत्ता का हथियार मात्र बनकर रह जाती है।

– ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करें की फांसी बलात्कार को रोकने का साधन बन पाई है। रिकोर्ड दर्शाते है कि बलात्कार अभियोग में सज़ा की दर काफी कम है जिसमें यदि फांसी की सज़ा जुड़ जाती है तो इसके गिरने की ओर संभावना है।

– जैसा की कई देशो में साबित हो चुका है इस प्रकार की सज़ा खास वंचित वर्ग, धर्म व समुदाय के विरुद्ध ही हथियार का काम करती है।

– अक्सर फांसी का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि बलात्कार मृत्यु से भी घिनौना है जिसमें महिला का जीवन हमेशा के लिये बरबाद हो जाता है। हम इस पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करते है जो बलात्कार को पितृसत्ता के हाथियार व ताक़त के रूप में प्रचारित करता है।

–अधिकतर बलात्कार परिचितो द्वारा किये जाते है। ऐसी स्थिति में यदि फांसी का प्रावधान जुड़ जाता है तो शिकायतकर्ता पर रिपोर्ट न करवाने का मनोवैज्ञानिक दबाब और बढ़ जायेगा।

– राज्य सरकार के पास वैसे ही, विभिन्न दमनकारी (*AFSPA...*) अधिकार है जो उन्हे कत्ल का अधिकार देते है ऐसे में एक और हथियार उनके हाथ में देना घातक होगा।

– फांसी की सजा का प्रावधान होने से कानून के रखवाले पूरी कोशिश करेंगे की इस तरह की शिकायत दर्ज ही ना हो ताकि कानून पर कोई अंगुली ना उठे।

– जैसा की हम जानते है जब बलात्कारी सत्ता में होता है तो न्याय मिलना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। फांसी का प्रावधान इसे और जटिल बना देगा।

– फांसी की सजा का प्रावधान होने से पीड़ित का बलात्कारी द्वारा सबुत मिटाने के लिये जान से मारे जाने का खतरा बढ़ जायेगा।

फांसी हिंसा का समाधान नहीं है। ज़रा सोचिये।

नोट: देश्की चुनी के विषय में अपने सुझाव, संस्था व कार्य में इसकी उपयोगिता और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। ताकि हम आपके लिये इसका प्रकाशन व वितरण ज़ारी रख सकें।

जागोरी
JAGORI

निशुल्क प्रतियों के लिए संपर्क करें–
जागोरी, बी–114, शिवालीक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017,
फोन: 011–26691219, 26691220
email: resource@jagori.org/jagori@jagori.org,www.jagori.org

Bread for the World, Misereor के सहयोग से प्रकाशित